Annexure-51

संख्या-62/2020/4938/सैंतीस-2-2020-30(4)/19

प्रेषक,

भुवनेश कुमार,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

पशुधन अनुभाग-2 लखनऊ : दिनांक-12 सितम्बर, 2020

विषय- महिलाओं, बच्चों एवं अन्य आयु वर्ग में कुपोषण की दर को कम किये जाने के संबंध में।

महोदय,

अवगत हैं कि पोषण सतत विकास और आर्थिक समृद्धि की नींव है। स्वस्थ एवं अधिक सक्षम भारत की अवधारणा को साकार करने एवं महिलाओं और बच्चों का कुपोषण दूर करने हेतु पोषण अभियान माननीय प्रधान मंत्री जी का एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। "पोषण अभियान" का उद्देश्य विभिन्न आयु वर्ग में व्याप्त कुपोषण की दरों में कमी लाना है। पोषण अभियान को जन भागीदारी यानी जन आन्दोलन बनाने की कल्पना की गयी है। इस क्रम में पूरे देश में सितम्बर के महीने को "राष्ट्रीय पोषण माह" के रूप में मनाया जाता है। इस वर्ष के पोषण माह का टैग लाइन **"उत्तम पोषण, उत्तर प्रदेश रोशन"** है ।

2- उक्त अभियान के अंतर्गत प्रदेश में महिलाओं और बच्चों का कुपोषण दूर करने में गोवंश की अत्यन्त उपयोगिता है। प्रत्येक परिवार में गोवंश की उपलब्धता होने से दूध की उपलब्धता होगी, जो बच्चों एवं माताओं के लिए अत्यन्त महत्वपूर्ण है। महिलाओं और बच्चों के पोषण के स्तर को बेहतर करने के लिए शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि कुपोषित बच्चों के परिवारों, जिनके पास गाय रखने का स्थान उपलब्ध हों तथा गोपालन के इच्छुक हों, उन्हें निराश्रित/बेसहारा गोवंश आश्रय स्थलों से गाय उपलब्ध कराई जाय।

3- उल्लेखनीय है कि शासनादेश संख्या-3256/सैंतीस-2-2019-30(4)/2019, दिनांक-08.08.2019 द्वारा प्रदेश में निराश्रित/बेसहारा गोवंश को इच्छुक कृषकों/पशुपालकों/अन्य व्यक्तियों को सुपुर्द किये जाने हेतु मा0 मुख्यमंत्री निराश्रित/बेसहारा गोवंश सहभागिता योजना का प्रख्यापन किया गया है। उक्त योजना के मुख्य बिन्दु निम्नवत हैं:-

(1) शासनादेश संख्या-4324/सैंतीस-2-2018-5(53)/ 2018 दि0-02.01.2019 के प्रस्तर-7.8 के संलग्नक-1 एवं शासनादेश संख्या-261/ सैंतीस-2-2019-5(53)/2018 दिनांक-28.01.2019 निराश्रित/बेसहारा गोवंश आश्रय स्थल विषयक परामर्शी मार्गनिर्देशों के प्रस्तर-5 में गोवंश को किसानों/पशुपालकों को सुपुर्दगी किये जाने का उल्लेख है।

(2) जिलाधिकारी जनपद में ऐसे इच्छुक कृषकों/पशुपालकों/अन्य व्यक्तियों को चिन्हित करायेंगे, जो निराश्रित गोवंश को पालने हेतु तैयार है, उन्हें जिलाधिकारियों द्वारा रू0 30/- (रूपये तीस मात्र) प्रति गोवंश/ प्रतिदिन की दर से भरण-पोषण हेतु धनराशि सम्बन्धित कृषक/ पशुपालक/अन्य व्यक्ति के बैंक खाते में प्रतिमाह डी0बी0टी0 प्रक्रिया द्वारा हस्तान्तरित की जायेगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

(3) निराश्रित/बेसहारा गोवंश (जिनमें ईयर टेग अनिवार्य होगा) को इच्छुक कृषकों/पशुपालकों/अन्य व्यक्तियों को सरकार/जिला प्रशासन द्वारा स्थापित एवं संचालित अस्थायी/स्थायी केन्द्रों के माध्यम से सुपुर्द किया जायेगा।

(4) चिन्हित कृषक/पशुपालक/अन्य व्यक्ति सुपुर्द किए गये गोवंश को किसी भी दशा में विक्रय नहीं करेगा न ही छुट्टा छोड़ेगा।

4- उपर्युक्त से स्पष्ट है कि कुपोषित बच्चों के परिवार, जिनके पास गाय रखने का स्थान उपलब्ध हो तथा गौ-पालन के इच्छुक हों, उक्त योजनान्तर्गत आच्छादित किए जा सकते हैं।

5- अतः इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया मा0 मुख्यमंत्री निराश्रित/बेसहारा गोवंश सहभागिता योजना के अंतर्गत कुपोषित बच्चों के पात्र एवं इच्छुक परिवारों को जिले में स्थापित एवं संचालित विभिन्न प्रकार के गोवंश आश्रय स्थलों से गाय उपलब्ध कराये जाने की कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें। यदि लाभार्थी चाहें तो गाय दिये जाने से पूर्व उसे गौ आश्रय स्थलों पर उपलब्ध गायों में से गाय चुनने का अवसर भी दिया जाय। गाय प्रदान किये जाने की कार्यवाही यथासम्भव जनप्रतिनिधिगण की उपस्थिति में सम्पन्न की जाये। पात्र एवं इच्छुक परिवारों की सूची उपलब्ध कराये जाने का दायित्व बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग का होगा।

कृपया तदनुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(भुवनेश कुमार)
प्रमुख सचिव।

संख्या-62/2020/4938(1)/सैंतीस-2-2020 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- अपर मुख्य सचिव, बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग, उ0प्र0शासन।
2- समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
3- निदेशक, राज्य पोषण मिशन, उत्तर प्रदेश।
4- निदेशक, प्रशासन एवं विकास, पशुपालन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
5- निदेशक, रोग नियंत्रण एवं प्रक्षेत्र, पशुपालन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
6- समस्त अपर निदेशक ग्रेड-2, पशुपालन विभाग, उत्तर प्रदेश।
7- समस्त मुख्य पशु चिकित्साधिकारी, पशुपालन विभाग, उत्तर प्रदेश।
8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(विनोद कुमार द्विवेदी)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

Annexure-52

महत्वपूर्ण/तत्काल

संख्या-1437/सैंतीस-2-2022-5 (53)/18 टी0सी0-2

प्रेषक,

डा0 रजनीश दुबे,
अपर मुख्य सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

समस्त मण्डलायुक्त,
उत्तर प्रदेश।(चित्रकूट धाम मण्डल को छोड़कर)

पशुधन अनुभाग-2

लखनऊ :: दिनांक 04मई, 2022

विषयः-प्रदेश में संरक्षित निराश्रित/बेसहारा गोवंश के भरण-पोषण हेतु दान के माध्यम से भूसा संग्रहण के संबंध में।

महोदय,

आप अवगत है कि निराश्रित/बेसहारा गोवंश का संरक्षण एवं भरण-पोषण वर्तमान सरकार के शीर्ष प्राथमिकताओं में है। 20वीं पशुगणना (2019) के अनुसार प्रदेश में लगभग 11.84 लाख गोवंश निराश्रित गोवंश के रूप में चिन्हित किये गये है। वर्ष 2019 में प्रख्यापित नीति के माध्यम से प्रदेश में स्थायी/अस्थायी गो आश्रय स्थलों की स्थापना कर दिनांक 31.03.2022 तक कुल 947698 निराश्रित गोवंश को संरक्षित कर उनका भरण-पोषण किया जा रहा है।

2. इस संबंध में शासन के पत्र सं0-532/सैतीस-2-2022-5(53)/2018 टीसी-2 दिनांक 21.04.2022 द्वारा गो आश्रय स्थलों में संरक्षित गोवंश के संरक्षण एवं भरण-पोषण हेतु पूर्व में निर्गत निर्देश के बिन्दु-3 में यह स्पष्ट रूप से उल्लिखित है कि वर्तमान में प्रदेश में गेहूँ की कटाई का इस समय मौसम है, जिससे प्रदेश के प्रत्येक अंचल में भूसे की उपलब्धता है। अतः अधिकाधिक मात्रा में 31 मई 2022 तक भूसे को दान के रूप में प्राप्त कर भूसा बैंक में संग्रहित किया जाये।

3. शासन के संज्ञान में आया है कि चित्रकूट धाम मण्डल में दान के माध्यम से भूसा संग्रहण में उल्लेखनीय कार्य किया गया हैं, किन्तु अन्य मण्डलों में इस दिशा में अपेक्षित प्रगति नहीं हुई है। इस विषय में आवश्यक है कि जिलाधिकारीगण द्वारा नेतृत्व प्रदान कर

दान दाताओं से सीधे सम्पर्क स्थापित किया जाय। दान दाताओं को स्थानीय स्तर पर प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित भी किया जा सकता है। शासन स्तर पर सर्वाधिक भूसा संग्रहण करने/विशालतम भूसा बैंक बनाने वाले टॉप–5 जिलो तथा टॉप–3 मण्डलों के मण्डलायुक्तों/अपर निदेशको/जिलाधिकारियो/मुख्य पशुचिकित्साधिकारियों को सम्मानित भी किया जायेगा।

इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वर्तमान में प्रदेश में गेहूँ की कटाई का समय है और प्रत्येक अंचल में भूसे की उपलब्धता प्रचुर मात्रा में है। अतः आश्रय स्थलों में संरक्षित गोवंश की वार्षिक आहार की आवश्यकताओं के दृष्टिगत अधिकाधिक मात्रा में भूसे को दान के रूप में प्राप्त कर भूसा बैंकों में संग्रहित किये जाने की कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(डा0 रजनीश दुबे)
अपर मुख्य सचिव।

सं0– 674 (1)/सैतीस–2–2022–तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
2. विशेष कार्याधिकारी, कृषि उत्पादन आयुक्त, उ0प्र0 शासन।
3. निदेशक, प्रशासन एवं विकास, पशुपालन विभाग, उ0प्र0।
4. समस्त अपर निदेशक, ग्रेड–2, पशुपालन विभाग (द्वारा निदेशक)।
5. समस्त मुख्य पशुचिकित्साधिकारी, पशुपालन विभाग उ0प्र0। (द्वारा निदेशक)।
6. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(देवेन्द्र कुमार पाण्डेय)
विशेष सचिव।

1439

Annexure-53

महत्वपूर्ण / प्राथमिकता

संख्या–768 / सैंतीस–2–2022–5(53) / 2018टीसी–1

प्रेषक,

दुर्गा शंकर मिश्र,
मुख्य सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

1. समस्त मण्डलायुक्त,
उत्तर प्रदेश।
2. समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।
3. निदेशक,
प्रशासन एंव विकास, पशुपालन विभाग,
उ0प्र0 लखनऊ।

Seen
20-5-22

पशुधन अनुभाग–2 लखनऊ :: दिनांक 20 मई, 2022

विषयः–निराश्रित गोवंश आश्रय स्थलों हेतु भूसा संग्रहण में तेजी लाये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

आप अवगत हैं कि प्रदेश में लगभग कुल 12 लाख निराश्रित गोवंश हैं, जिनमें से लगभग 9.50 लाख गोवंश का संरक्षण किया जा चुका है। संरक्षित गोवंशों के वर्ष पर्यन्त भरण–पोषण हेतु भूसे की आवश्यकता 10.35 लाख टन आंकलित की गयी है। भूसे की आंकलित आवश्यकता के सापेक्ष अभी तक 15 प्रतिशत भूसे का ही संग्रहण किया जा सका है, जो चिन्ताजनक है।

2. पशुधन विभाग के शासनादेश दिनांक 04.05.2022 में निराश्रित गोवंश के भरण–पोषण हेतु अधिकाधिक मात्रा में भूसा दान के माध्यम से भी संगृहीत करने के निर्देश दिये गये हैं। उक्त शासनादेश में यह व्यवस्था है कि टाप–3 मण्डल एवं टाप–5 जिलों को प्रदेश स्तर पर सम्मानित किया जायेगा।

3. दिनांक 17.05.2022 को राज्यस्तरीय समीक्षा बैठक में पाया गया कि जहां एक ओर प्रयागराज,बस्ती,बांदा जैसे जिलों में सराहनीय कार्य चल रहा है वहीं कतिपय जनपदों द्वारा भरण–पोषण हेतु भूसा संग्रहण में पर्याप्त रूचि नहीं ली जा रही है। अगामी तीन सप्ताह में भूसा संग्रहण हेतु विशेष प्रयास की आवश्यकता है, जिससे वर्ष पर्यन्त चारे की आपूर्ति निर्बाध बनी रहें।

4. बारम्बार निर्देश के बावजूद अभी तक सभी जनपदों द्वारा भूसा संग्रहण हेतु क्रय की प्रकिया भी पूर्ण नहीं की गयी है, जिसे शीघ्र पूर्ण करते हुए भूसा संग्रहण कराया जाना अपरिहार्य है। सम्प्रति मात्र 11 जनपदों द्वारा टेण्डर की कार्यवाही पूर्ण की गयी है, जिनमें सोनभद्र, बस्ती, सहारनपुर जनपद द्वारा वैज्ञानिक तरीके से टेण्डर से प्रक्रिया पूर्ण की गयी प्रतीत होती है, जहॉ पर पर्याप्त संख्या में आपूर्ति कर्ता चिन्हित किये गये हैं एवं दरे भी समुचित हैं। इसी प्रकार अन्य जनपदों द्वारा भी प्राथमिकता के आधार पर एक सप्ताह में नियमानुसार टेण्डर की प्रक्रिया पूर्ण कर भूसा संग्रहण की कार्यवाही सुनिश्चित की जाय। यह भी सुनिश्चित किया जाय कि भूसे का क्रय अधिक दरों पर न हों।

5. भूसा संग्रहण हेतु जनपदवार निर्धारित अवशेष लक्ष्य की पूर्ति तीन सप्ताह में अर्थात् 07 जून, 2022 तक प्रत्येक दशा में कर लिया जाय। यह संग्रहण जिलाधिकारी द्वारा विभागीय टेण्डर की दशा में चयनित वेण्डर के द्वारा एवं स्थानीय स्तर पर पंचायतों/नगर निगमों द्वारा किया जायेगा।

6. दान दाताओं से भूसा दान में प्राप्त किया जाय तथा इसका समुचित स्टोरेज एवं इंवेन्टरी मैनेजमेंट पृथक से रखा जाय।

7. यह भी सुनिश्चित किया जाय कि अगले सप्ताह सोमवार से भूसे के सम्बन्ध में प्रेषित की जाने वाली सूचना मुख्य विकास अधिकारी एवं मुख्य पशुचिकित्साधिकारी द्वारा सत्यापनोपरान्त संयुक्त हस्ताक्षर से उपलब्ध करायी जाए।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि इस अभियान को नेतृत्व प्रदान करते हुए उपरोक्त आदेशों का कडाई से अनुपालन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

Signed By दुर्गा शंकर मिश्र
Date: 20-05-2022 11:03:
Reason: Approved

(दुर्गा शंकर मिश्र)
मुख्य सचिव।

Annexure-54

महत्वपूर्ण / प्राथमिकता
संख्या 80A सी0एम0 / सैंतीस–2–2023–5(53) / 18टीसी–1

प्रेषक,

दुर्गा शंकर मिश्र,
मुख्य सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

1– समस्त मण्डलायुक्त
उत्तर प्रदेश।

2– समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

पशुधन अनुभाग–2

लखनऊ :: दिनांक 18 अप्रैल, 2023

विषय–निराश्रित गोवंश आश्रय स्थलों हेतु भूसा संग्रहण में तेजी लाये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

अवगत कराना हैं कि पशुधन विभाग के शासनादेश दिनांक 04.05.2022, दिनांक 20.05.2022 एवं दिनांक 03.03.2023 में निराश्रित गोवंश के भरण–पोषण हेतु अधिकाधिक मात्रा में भूसा क्रय एवं दान के माध्यम से संग्रहीत कर भूसा बैंक बनाने सम्बन्धी निर्देश दिये गये हैं।

2– वर्तमान में गेहूँ कटाई का सीजन चल रहा है। भूसे की उपलब्धता प्रचुर मात्रा में है। अतः प्रत्येक जनपद में कृषकों, समाजसेवियों, स्वयंसेवी संस्थाओं, व्यापार मण्डल एवं पशु प्रेमियों आदि से अधिकाधिक मात्रा में दान के माध्यम से भूसा प्राप्त कर भण्डारण कर लिया जाय।

3– गेहूँ कटाई का सीजन होने के कारण भूसा कम दरों पर उपलब्ध है। अतः जनपद की आवश्यकता के अनुसार वर्ष पर्यन्त हेतु भूसा क्रय कर अभी संरक्षित कर लिया जाय।

4– चूंकि फसल कटाई के समय वर्तमान में भूसा कम दरों पर स्थानीय रूप से उपलब्ध है। अतः पंचायतों द्वारा स्थानीय स्तर पर नियमानुसार क्रय कर भण्डारण करना श्रेयस्कर होगा। इस प्रक्रिया से परिवहन व्यय की भी बचत होगी। भूसा क्रय हेतु एस0एफ0सी0 पुलिंग से भी प्राप्त धनराशि का उपयोग किये जाने के निर्देश निर्गत किये जा चुके हैं।

5– भूसा गोदाम की उपलब्धता न होने की दशा में पारम्परिक तरीके से भुर्जी, खोप, मण्डिला/भोगा आदि तैयार कर भूसा संरक्षित करा लिया जाय। सम्यक Inventory Management भी सुनिश्चित किया जाय।

6– दानदाताओं से अधिकाधिक मात्रा में भूसा दान में प्राप्त किया जाय तथा इसका समुचित स्टोरेज एवं Inventory Management पृथक से किया जाय।

7– प्रदेश में बड़ी पशुधन आबादी के दृष्टिगत भूसे की प्रचुर मात्रा में उपलब्धता हेतु स्ट्रा रीपर के प्रयोग को प्रोत्साहित करने के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या–924/सैंतीस–2–2023, दिनांक 11.04.2023 द्वारा स्पष्ट निर्देश निर्गत किये गये हैं। इसके द्वारा जहॉ एक ओर पराली की समस्या का समाधान होगा वहीं दूसरी ओर पर्याप्त मात्रा में भूसे की उपलब्धता सुनिश्चित हो सकेगी।

8– भूसे के भण्डार की सूचना साप्ताहिक रूप से निर्धारित संलग्न प्रारूप (संलग्नक–1) पर निदेशक, प्रशासन एवं विकास, पशुपालन विभाग को ई–मेल आई0डी0

directorahd@yahoo.com, jdgoshala.up@gmail.com पर मुख्य विकास अधिकारी एवं मुख्य पशुचिकित्साधिकारी के सत्यापनोपरान्त संयुक्त हस्ताक्षर से उपलब्ध कराई जाय।

9– निराश्रित गोवंश के भरण–पोषण हेतु भूसे की आवश्यकता का आंकलन करते हुए जनपदवार दान के माध्यम से एवं क्रय किये जाने वाले भूसे की मात्रा के लक्ष्य का निर्धारण किया गया है, जो संलग्न है (संलग्नक–2)।

10– अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि उपर्युक्तानुसार कार्यवाही शीर्ष प्राथमिकता पर समयबद्ध रूप से सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

Signed by दुर्गा शंकर मिश्र
Date: 18-04-2023 11:03:34
Reason: Approved

भवदीय,

(दुर्गा शंकर मिश्र)
मुख्य सचिव।

संख्या–80 सी0एम0(1)/ सैंतीस–2–2023 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– अपर मुख्य सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उ0प्र0शासन।
2– स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
3– विशेष कार्याधिकारी, कृषि उत्पादन आयुक्त, उ0प्र0शासन।
4– अपर मुख्य सचिव, पंचायती राज, उ0प्र0 शासन।
5– प्रमुख सचिव, ग्राम्य विकास, उ0प्र0 शासन।
6– प्रमुख सचिव, नगर विकास, उ0प्र0 शासन।
7– निदेशक, प्रशासन एवं विकास, पशुपालन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
8– गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(देवेन्द्र कुमार पाण्डेय)
विशेष सचिव।

1443

Annexure-55

गो–सेवा / प्राथमिकता

संख्या–822 / सैंतीस–2–2022–5(53) / 2018टीसी–1

प्रेषक,

दुर्गा शंकर मिश्र,
मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ।

सेवा में,

1–समस्त मण्डलायुक्त,
उत्तर प्रदेश।
2–समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

पशुधन अनुभाग–2 लखनऊः दिनॉक 01 मई, 2022

विषयः–निराश्रित गोवंश के अध्यावधिक आंकलन एवं 31 दिसम्बर, 2022 तक शत–प्रतिशत संरक्षित किए जाने के संबन्ध में।

महोदय,

आप अवगत है कि प्रदेश में लगभग 12 लाख निराश्रित गोवंश है, जिनमें 8.50 लाख गोवंश का संरक्षण गो–आश्रय स्थलों में किया जा चुका है। शासनादेश दिनॉक 02 जनवरी, 2019 में विद्यमान व्यवस्था अनुसार 6,195 अस्थायी गो–आश्रय स्थलों की स्थापना कर निराश्रित गोवंश के संरक्षण एवं भरण–पोषण का कार्य किया जा रहा है।

2– गोवंश संरक्षण की कार्य योजना के अनुसार 100 दिन में 50 हजार, 06 माह में 01 लाख, माह दिसम्बर 2022 तक समस्त निराश्रित गोवंश को संरक्षित किये जाने का लक्ष्य है। उक्त लक्ष्य की पूर्ति हेतु समुचित संख्या में अस्थायी गो आश्रय स्थलों की स्थापना किया जाना आवश्यक है।

3– इस संबंध में आपको निर्देशित किया जाता है कि निम्नानुसार आवश्यक कार्यवाही समयबद्ध रूप से सुनिश्चित कराने का कष्ट करेः–

(1) 20वीं पशुगणना वर्ष 2019 के निराश्रित गोवंश के संबंध में आंकडे संलग्नक प्रारूप–1 में रक्षित हैं। इस प्रारूप में जनपद में कुल निराश्रित गोवंश तथा गो आश्रय स्थलों में संरक्षित गोवंश की संख्या तथा अवशेष निराश्रित गोवंश की संख्या का विवरण तैयार किया गया है। सम्प्रति यह संख्या कुछ अधिक हो सकती है। इसका जनपदवार आंकलन (revised estimate) 15 दिवसों के अन्दर समुचित कार्य योजना बनाकर सुनिश्चित कर लिया जाय।

(2) अवशेष निराश्रित गोवंश का शत–प्रतिशत संरक्षण 31 दिसम्बर 2022 तक किया जाना है। इस हेतु यह अपरिहार्य है कि अस्थायी गो आश्रय स्थलों के निर्माण हेतु स्थल चयन कर अस्थायी निर्माण कार्य यथाशीघ्र प्रारम्भ करा दिया जाए तथा 30 नवम्बर, 2022 तक निर्माण पूर्ण करा लिया जाय। यह कार्य मनरेगा एवं अन्य योजनाओं के अभिसरण (convergence) से कराया जा सकता है। साथ ही साथ इस बात का विशेष ध्यान रखा जाए कि प्रश्नगत स्थल land एवं location के अनुसार समुपयुक्त हो। प्रत्येक चिन्हित स्थल के अन्तर्गत एक कैचमेन्ट ऐरिया का निर्धारण किया जाए, जिनमें ग्राम पंचायतें स्पष्ट रहें। यह कैचमेन्ट एरिया स्थानीय निराश्रित गोवंश की संख्या के अनुरूप निर्धारित की जाए यथा 5 से 10 ग्राम पंचायतें, जिससे कि इस कैचमेन्ट एरिया में यदि निराश्रित गोवंश मिलता है तो उसे संबंधित आश्रय स्थल पर संरक्षित किया जा सके। अवशेष

निराश्रित गोवंश के संरक्षण हेतु निर्मित किये जाने वाले अस्थायी आश्रय स्थलों के संबंध में सूचना संलग्न प्रारूप–2 पर उपलब्ध करायी जाए।

(3) वर्तमान में संचालित गो आश्रय स्थलों में संरक्षण की समुचित व्यवस्था (sustainable management) सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है। यदि कोई अवसंरचना विकास किया जाना है तो उसे भी करा लिया जाय तथा प्रत्येक संचालित गो आश्रय स्थल पर समस्त सुविधाओं का निरीक्षण/सर्वेक्षण सुनिश्चित करा लिया जाय और आवश्यकतानुसार यदि कोई अन्य व्यवस्थायें वांछित हो तो उसे भी करा लिया जाय। साथ ही साथ भरण–पोषण हेतु भूसा चारा की उपलब्धता वर्षपर्यन्त सुनिश्चित करें। इन गो आश्रय स्थलों हेतु ग्राम सभा में चारागाह की भूमि से linkage करते हुए चारागाहों में चारा यथा नैपियर घास आदि बहुवर्षीय फसलें लगाये जाने की व्यवस्था किया जाना उपयुक्त होगा। जनपद स्तर पर गो–आश्रय स्थलों हेतु नोडल अधिकारी बनाए गये होंगे, कृपया इनकी सूची परिमार्जित करते हुए इनके माध्यम से विस्तृत स्थलीय निरीक्षण संलग्न प्रारूप–3 के अनुसार पूर्ण कराया जाना सुनिश्चित करें।

(4) प्रदेश में निराश्रित गोवंश संरक्षण के साथ–साथ इच्छुक व्यक्तियों/पशुपालकों को गो–आश्रय स्थल से अधिकतम 4 गोवंश सुपुर्दगी में दिए जाने की व्यवस्था है। उक्त के साथ ही साथ सुपुर्दगी में लिए गोवंश से संबन्धित लाभार्थियों को भरण–पोषण हेतु प्रति गोवंश रू0 900/– प्रति माह दिया जा रहा है। इस संबन्ध में जनपद स्तरीय बैठक एवं क्षेत्र में स्थानीय सत्यापन कर वास्तविक स्थिति तथा लाभार्थियों की राय प्राप्त किया जाना है। उक्त से संबन्धित लाभार्थीवार विवरण तैयार कराने हेतु प्रारूप–4 संलग्न है।

कृपया उपरोक्त आदेशो का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराते हुए, प्रारूप 2, 3 व 4 पर सूचना दिनांक 15 जून 2022 तक इमेल jdgoshala.up@gmail.com पर प्रत्येक दशा में प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करें।

Signed by दुर्गा शंकर मिश्र
Date: 31-05-2022 16:54:20
Reason: Approved

भवदीय,
(दुर्गा शंकर मिश्र)
मुख्य सचिव

संख्या–822/सैंतीस–2–2022 तद्दिनांक।

प्रतिलिपिः निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. अपर मुख्य सचिव, मा0 मुख्य मंत्री जी, उ0प्र0 शासन।
2. अपर मुख्य सचिव, पंचायती राज विभाग, उ0प्र0 शासन।
3. अपर मुख्य सचिव, ग्राम्य विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
4. अपर मुख्य सचिव, राजस्व विभाग, उ0प्र0 शासन।
5. अपर मुख्य सचिव, नगर विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
6. विशेष कार्याधिकारी, कृषि उत्पादन आयुक्त, उ0प्र0 शासन।
7. निदेशक, प्रशासन एवं विकास, पशुपालन विभाग, उ0प्र0।

आज्ञा से,

(देवेन्द्र कुमार पाण्डेय)
विशेष सचिव

संलग्नक - 1

गोवंश आश्रय स्थलोंपर संरक्षित गोवंश का विवरण स्थिति														
क्रम संख्या	जनपद	लक्ष्य	ग्रामीण / शहरी	अस्थायीगोवंश आश्रय स्थल		कान्हागोशाला		कांजीहाउस		वृ०गो०सं०के०/गो०सं०के०/गो०व०वि०		कुल गोआश्रय स्थलों की संख्या	सुपुर्दगी मे दिये गये कुल गोवंश की संख्या	कुलसंरक्षित पशु
				संख्या	संरक्षितपशु	संख्या	संरक्षितपशु	संख्या	संरक्षितपशु	संख्या	संरक्षितपशु			
1	वाराणसी	12449	ग्रामीण	111	6808	0	0	0	0	2	429	113	1271	7237
			शहरी	4	1579	2	979	2	147	0	0	8	25	2705
2	जौनपुर	23008	ग्रामीण	101	10314	0	0	1	93	2	650	104	1920	11057
			शहरी	1	561	1	87	0	0	0	0	2	91	648
3	गाजीपुर	16150	ग्रामीण	47	1847	0	0	1	20	2	1242	50	637	3109
			शहरी	7	729	1	0	0	0	0	0	8	211	729
4	चंदौली	5577	ग्रामीण	12	1512	0	0	3	287	2	459	17	777	2258
			शहरी	5	804	0	0	0	0	0	0	5	261	804
5	शामली	2586	ग्रामीण	16	2761	0	0	0	0	1	271	17	1303	3032
			शहरी	2	215	0	0	0	0	1	390	3	55	605
6	सहारनपुर	2915	ग्रामीण	12	3549	0	0	0	0	2	742	14	909	4291
			शहरी	0	0	1	445	0	0	0	0	1	27	445
7	मुज़फ्फरन	3207	ग्रामीण	21	3104	0	0	3	157	2	656	26	1058	3917
			शहरी	4	394	6	946	1	46	0	0	11	345	1386
8	संभल	5331	ग्रामीण	33	4345	0	0	0	0	2	997	35	719	5342
			शहरी	6	219	0	0	0	0	0	0	6	81	219
9	रामपुर	26	ग्रामीण	7	45	0	0	0	0	1	524	8	45	569
			शहरी	1	35	0	0	0	0	1	181	2	0	216
10	मुरादाबाद	733	ग्रामीण	8	274	0	0	4	59	2	594	14	152	927
			शहरी	0	0	2	660	2	69	0	0	4	116	729
11	अमरोहा	1697	ग्रामीण	12	772	0	0	0	0	2	472	14	304	1244
			शहरी	6	118	2	534	1	6	0	0	9	167	658
12	बिजनोर	361	ग्रामीण	11	734	0	0	15	104	3	1085	29	452	1923
			शहरी	0	0	12	139	2	4	0	0	14	226	1402
13	सोनभद्र	4861	ग्रामीण	12	804	1	229	0	0	2	696	15	438	1729
			शहरी	4	608	0	0	0	0	0	0	4	77	608
14	संत	12536	ग्रामीण	62	4348	0	0	0	0	2	764	64	1146	5112
			शहरी	1	173	1	91	0	0	0	0	2	0	264
15	मिर्ज़ापुर	3897	ग्रामीण	17	3012	0	0	1	62	3	1216	21	577	4290
			शहरी	3	975	0	0	0	0	0	0	3	131	975
16	हापुर	3549	ग्रामीण	35	1613	0	0	2	73	2	914	39	466	2600
			शहरी	3	417	1	309	0	0	0	0	4	85	726
17	मेरठ	4913	ग्रामीण	11	2827	0	0	4	76	2	674	17	1052	3577
			शहरी	2	495	3	112	2	25	0	0	7	60	1644
18	गाज़ियाबा	4543	ग्रामीण	12	1526	0	0	0	0	2	612	14	400	2138
			शहरी	8	2341	1	282	0	0	0	0	9	211	2623
19	गौतम बुद्ध	3340	ग्रामीण	10	1594	0	0	0	0	2	661	12	641	2255
			शहरी	13	4482	0	0	0	0	0	0	13	815	4482
20	बुलंदशहर	16634	ग्रामीण	136	12050	0	0	0	0	6	1328	142	2583	13378
			शहरी	14	2899	3	316	0	0	0	0	17	686	3215
21	बागपत	3754	ग्रामीण	18	2189	0	0	0	0	2	909	20	530	3098
			शहरी	7	890	1	159	0	0	0	0	8	197	1049
22	उन्नाव	42578	ग्रामीण	174	14256	0	0	0	0	4	938	178	2357	15194
			शहरी	12	611	9	215	2	32	0	0	23	59	2801

1446

संलग्नक - 1

गोवंश आश्रय स्थलोंपर संरक्षित गोवंश का विवरण स्थिति													
क्रम संख्या	जनपद	लक्ष्य	ग्रामीण / शहरी	अस्थायीगोवंश आश्रय स्थल		कान्हागोशाला		काजीहाउस		वृ०गो०सं०के०/गो०सं०के०/ गो०व०वि०		कुल गोआश्रय स्थलों की संख्या	सुपुर्दगी मे दिये गये कुल गोवंश की संख्या	कुलसंरक्षित पशु
				संख्या	संरक्षितपशु	संख्या	संरक्षितपशु	संख्या	संरक्षितपशु	संख्या	संरक्षितपशु			
23	सीतापुर	17057	ग्रामीण	79	10041	0	0	14	138	3	971	96	3401	11150
			शहरी	1	165	5	117	0	0	0	0	6	100	1344
24	रायबरेली	15513	ग्रामीण	48	5535	0	0	18	6086	4	2263	70	1150	13884
			शहरी	1	16	5	110	1	31	0	0	7	201	1150
25	लखनऊ	23003	ग्रामीण	101	17270	0	0	3	45	2	335	106	4785	17650
			शहरी	8	806	3	107	7	8	0	0	18	159	11566
26	लखीमपुर खीरी	41939	ग्रामीण	37	12333	0	0	14	562	3	1557	54	5191	14452
			शहरी	6	1062	0	0	0	0	0	0	6	112	1062
27	हरदोई	48173	ग्रामीण	117	19866	0	0	0	0	5	1294	122	3673	21160
			शहरी	10	361	3	570	5	22	0	0	18	77	953
28	कानपूर देहात	26775	ग्रामीण	87	7690	0	0	0	0	3	1140	90	982	8830
			शहरी	5	2735	1	412	1	326	0	0	7	0	7188
29	कानपूर नगर	14077	ग्रामीण	346	6917	0	0	3	98	1	259	350	871	7274
			शहरी	3	33	6	150	1	12	1	208	11	101	1761
30	कन्नौज	5642	ग्रामीण	42	3098	0	0	3	41	2	340	47	1463	3479
			शहरी	6	251	2	669	0	0	0	0	8	63	920
31	फरुखाबाद	9844	ग्रामीण	21	6684	0	0	2	120	3	601	26	1794	7405
			शहरी	0	0	4	144	0	0	0	0	4	0	1447
32	इटावा	10841	ग्रामीण	91	8745	0	0	7	44	2	720	100	1117	9509
			शहरी	4	460	2	416	0	0	0	0	6	23	876
33	औरैया	11525	ग्रामीण	32	5759	0	0	0	0	2	755	34	1541	6514
			शहरी	10	834	0	0	0	0	0	0	10	119	834
34	ललितपुर	43498	ग्रामीण	6	6625	0	0	22	210	7	2691	35	7509	33753
			शहरी	1	278	2	111	0	0	0	0	3	12	1392
35	जालौन	20872	ग्रामीण	364	37638	0	0	18	269	7	1435	389	3220	39342
			शहरी	6	518	7	202	6	0	0	0	19	80	2544
36	झाँसी	37431	ग्रामीण	223	30352	0	0	21	121	7	2159	251	3495	32632
			शहरी	15	2857	4	933	6	202	0	0	25	54	3992
37	महाराजगंज	1479	ग्रामीण	15	4257	0	0	12	247	2	143	29	320	4647
			शहरी	0	0	2	43	0	0	0	0	2	1	43
38	कुशीनगर	672	ग्रामीण	15	343	0	0	4	6	2	638	21	375	987
			शहरी	0	0	7	142	0	0	0	0	7	0	142
39	देवरिया	8393	ग्रामीण	16	951	2	379	8	224	1	437	27	466	1991
			शहरी	3	44	2	317	1	72	1	115	7	62	548
40	गोरखपुर	10186	ग्रामीण	20	448	0	0	24	884	2	1830	46	323	3162
			शहरी	0	0	3	175	1	96	0	0	4	0	1850
41	अमेठी	8569	ग्रामीण	78	7583	1	248	3	109	2	748	84	1605	8688
			शहरी	1	35	0	0	0	0	0	0	1	0	35
42	सुल्तानपुर	4026	ग्रामीण	14	4085	1	50	7	312	3	930	25	1423	5377
			शहरी	3	309	1	60	0	0	0	0	4	104	369
43	बाराबंकी	10097	ग्रामीण	35	12099	0	0	0	0	2	918	37	2768	13017
			शहरी	0	0	2	495	0	0	0	0	2	0	495
44	अम्बेडकर नगर	6353	ग्रामीण	14	4353	0	0	0	0	2	982	16	1506	5335
			शहरी	3	208	1	50	1	47	0	0	5	34	305

1447

संलग्नक - 1

गोवंश आश्रय स्थलोंपर संरक्षित गोवंश का विवरण स्थिति														
क्रम संख्या	जनपद	लक्ष्य	ग्रामीण / शहरी	अस्थायीगोवंश आश्रय स्थल		कान्हागोशाला		काजीहाउस		वृ०गो०सं०के०/गो०सं०के०/ गो०व०दि०		कुल गोआश्रय स्थलों की संख्या	सुपुर्दगी मे ठिये गये कुल गोवंश की संख्या	कुलसंरक्षित पशु
				संख्या	संरक्षितपशु	संख्या	संरक्षितपशु	संख्या	संरक्षितपशु	संख्या	संरक्षितपशु			
45	अयोध्या	5629	ग्रामीण	25	4969	0	0	0	0	2	550	27	1558	5519
			शहरी	0	0	4	234	1	12	0	0	5	302	2358
46	श्रावस्ती	21500	ग्रामीण	35	6607	0	0	6	61	2	1164	43	623	7832
			शहरी	0	0	2	48	0	0	0	0	2	0	48
47	बलरामपुर	9248	ग्रामीण	48	4925	0	0	15	366	2	590	65	955	5881
			शहरी	4	211	4	70	0	0	0	0	8	0	281
48	बहराइच	18988	ग्रामीण	52	10251	0	0	18	540	4	1401	74	1704	12192
			शहरी	2	311	2	218	0	0	0	0	4	200	529
49	गोंडा	52615	ग्रामीण	61	7840	0	0	8	157	3	1000	72	1174	8997
			शहरी	1	20	1	119	0	0	0	0	2	32	139
50	हमीरपुर	37834	ग्रामीण	314	34897	0	0	5	271	2	753	321	3832	35921
			शहरी	5	2253	4	290	0	0	0	0	9	259	2543
51	महोबा	61765	ग्रामीण	195	25304	0	0	0	0	9	2731	204	3363	28035
			शहरी	0	0	5	268	0	0	0	0	5	336	2682
52	बाँदा	47658	ग्रामीण	287	46905	0	0	3	60	8	2826	298	4177	49791
			शहरी	5	513	3	807	0	0	0	0	8	0	1320
53	चित्रकूट	68813	ग्रामीण	299	36640	0	0	2	28	10	3090	311	4160	39758
			शहरी	4	693	1	0	1	25	0	0	6	55	718
54	सिद्धार्थन ---	14230	ग्रामीण	77	7877	0	0	12	11	3	802	92	2238	8690
			शहरी	0	0	6	722	1	2	0	0	7	0	724
55	संत कबीर -----	2926	ग्रामीण	63	2636	0	0	3	61	3	230	69	479	2927
			शहरी	0	0	3	134	0	0	0	0	3	0	134
56	बस्ती	25529	ग्रामीण	56	1595	0	0	11	43	2	337	69	1121	1975
			शहरी	0	0	2	362	0	0	0	0	2	78	362
57	शाहजहांपु -	12669	ग्रामीण	36	4427	0	0	0	0	4	1359	40	3467	5786
			शहरी	9	2506	2	681	0	0	0	0	11	1353	3187
58	पीलीभीत	14348	ग्रामीण	29	3657	0	0	0	0	2	594	31	1494	4251
			शहरी	3	2050	2	821	1	206	0	0	6	625	3077
59	बदायू	29760	ग्रामीण	120	17701	0	0	3	29	2	547	125	3706	18277
			शहरी	8	790	2	316	0	0	0	0	10	226	1106
60	बरेली	6972	ग्रामीण	38	958	0	0	0	0	4	1376	42	1165	2334
			शहरी	4	304	7	206	5	63	0	0	16	328	2434
61	प्रतापगढ़	25483	ग्रामीण	49	9900	0	0	8	348	2	455	59	1585	10703
			शहरी	0	0	4	642	0	0	0	0	4	0	642
62	कौशाम्बी	13817	ग्रामीण	58	6726	0	0	2	52	3	1509	63	268	8287
			शहरी	8	1150	2	783	0	0	0	0	10	0	1933
63	फतेहपुर	19931	ग्रामीण	43	12274	0	0	0	0	3	685	46	995	12959
			शहरी	0	0	1	538	18	151	0	0	19	0	689
64	प्रयागराज	29045	ग्रामीण	163	14693	0	0	0	0	3	1005	166	3083	15698
			शहरी	0	0	1	220	12	315	0	0	13	0	2521
65	कासगंज	3716	ग्रामीण	5	1758	0	0	0	0	2	939	7	534	2697
			शहरी	0	0	5	133	0	0	0	0	5	392	1333
66	हाथरस	12230	ग्रामीण	26	9500	0	0	0	0	2	708	28	1318	10208
			शहरी	3	648	1	179	0	0	0	0	4	66	827

1448

संलग्नक - 1

गोवंश आश्रय स्थलोंपर संरक्षित गोवंश का विवरण स्थिति

क्रम संख्या	जनपद	लक्ष्य	ग्रामीण / शहरी	अस्थायीगोवंश आश्रय स्थल		कान्हागोशाला		कांजीहाउस		वृ०गो०सं०के०/गो०सं०के०/ गो०व०वि०		कुल गोआश्रय स्थलों की संख्या	सुपुर्दगी मे दिये गये कुल गोवंश की संख्या	कुलसंरक्षित पशु
				संख्या	संरक्षितपशु	संख्या	संरक्षितपशु	संख्या	संरक्षितपशु	संख्या	संरक्षितपशु			
67	एटा	2568	ग्रामीण	13	2505	0	0	0	0	2	592	15	834	3097
			शहरी	0	0	3	571	0	0	0	0	3	212	571
68	अलीगढ	28559	ग्रामीण	161	25175	0	0	1	12	2	1221	164	2772	26408
			शहरी	13	753	1	312	2	43	0	0	16	0	1108
69	मऊ	7789	ग्रामीण	16	2595	0	0	0	0	2	720	18	329	3315
			शहरी	8	323	0	0	0	0	0	0	8	8	323
70	बलिया	7836	ग्रामीण	19	2373	0	0	0	0	2	339	21	274	2712
			शहरी	9	631	1	66	0	0	0	0	10	2	697
71	आजमगढ़	4924	ग्रामीण	28	4336	1	85	1	31	2	739	32	2130	5191
			शहरी	11	582	0	0	0	0	0	0	11	73	582
72	मथुरा	18556	ग्रामीण	24	8920	0	0	2	340	2	538	28	1264	9798
			शहरी	4	211	7	230	1	324	0	0	12	0	2838
73	मैनपुरी	5694	ग्रामीण	6	1045	0	0	0	0	3	891	9	112	1936
			शहरी	3	323	6	181	0	0	0	0	9	813	2136
74	फिरोजाबाद	6336	ग्रामीण	32	3866	0	0	0	0	2	674	34	644	4540
			शहरी	7	642	1	317	0	0	0	0	8	36	959
75	आगरा	16916	ग्रामीण	11	2227	0	0	3	94	2	1229	16	1600	3550
			शहरी	8	3282	1	124	1	63	0	0	10	4	4593
मण्डायोग		1184494	ग्रामीण + शहरी	5376	665751	198	63178	405	15300	217	96694	6196	132301	840923

1449

संलग्नक-2

1. जनपद का नाम :
2. जनपद में निराश्रित गोवंश की संख्या जो खेतों / सड़कों पर विचरण कर रहे हैं :
3. कुल अतिरिक्त गो-आश्रय स्थल की आवश्यकता :
4. चयनित स्थल संख्या एवं विकास खण्डवार मैपिंग एवं suitability of land and location :
5. नवीन गो-आश्रय स्थल की स्थापना से सम्बंधित प्रारूप

क्र.सं.	गोआश्रय स्थल का नाम /ग्राम/ विकास खण्ड/ नगर निकाय	ग्रामीण / शहरी	अक्षांश / देशांतर (latlong)	विकास खण्ड	प्रधान / ग्राम पंचायत / विकास अधिकारी, ई0ओ0 नगर निगम का नाम एवं संपर्क सूत्र	गोवंश धारण क्षमता	क्षेत्रफल एकड़ में	विन्हित स्थल से आच्छादित (catchment area) / की ग्राम पंचायतों की संख्या जिनमें गोवंश संरक्षित किये जायेंगें – ग्राम पंचायतों का नाम एवं संभावित गोवंश संख्या लिखें	चारागाह linkage भूमि – गाटा संख्या एवं क्षेत्रफल (एकड़ में)	अवस्थापना प्रस्तावित निर्माण की कार्ययोजना	
										प्रस्तावित भौतिक अवस्थापना	वित्तीय उपाश्य (लाख रूपये)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	

मुख्य पशुचिकित्साधिकारी

मुख्य विकास अधिकारी

1450

संलग्नक-3

प्रचलित गोवंश आश्रय स्थलों पर संरक्षित गोवंश की स्थिति– दिनांक.....
जनपद :

क्र.सं.	गोआश्रय स्थल का नाम ग्राम/ विकास खण्ड अथवा नगर निकाय	श्रेणी अस्थायी गोवंश आश्रय स्थल/ वृहद् गोसंरक्षण केन्द्र/ गोवंश विहार/ कान्हा उपवन/ कांजी हाउस	अक्षांश / देशांतर (latlong)	प्रधान / ग्राम पंचायत अधिकारी/ ग्राम विकास अधिकारी का नाम एवं संपर्क सूत्र (मोबाइल नं0)	गोवंश आश्रय स्थल समस्त श्रेणी	
					संख्या	संरक्षित पशु
1	2	3	4	5	6	7

अवस्थापना विकास										
शेड संख्या एवं पशु क्षमता	पर्याप्त क्षमता की खाने की चरही उपलब्ध है?	पानी का स्त्रोत – क्या है? क्या पर्याप्त है ?	पीने हेतु आवश्यक नाद की उपलब्धता	भूसा गोदाम क्षमता कुंतल में	स्टोर रूम	गोआश्रय स्थल की सुरक्षा हेतु खाई / फेंसिंग/ बायो फेंसिंग/ चाहरदीवारी की स्थिति	प्रकाश की व्यवस्था	खड़ंजे की व्यवस्था	गोरक्षक/ चौकीदार संख्या	गोरक्षक/ चौकीदार को भुगतान किस माह तक एवं प्रतिमाह धनराशि
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18

हरा चारा				वृक्षारोपण – वृक्ष संख्या	वर्मी कम्पोस्ट पिट की उपलब्धता	ईयर टैगिंग की स्थिति	बधियाकरण की स्थिति	कृत्रिम गर्भाधान की स्थिति	टीकाकरण की स्थिति	निरन्तर पशु स्वास्थ्य परीक्षण की स्थिति
हरे चारे की व्यवस्था / क्षेत्रफल	चारा काटने की मशीन	आश्रय स्थल से लिंक्ड चारागाह	क्षेत्रफल एकड़ में							
19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29

मुख्य पशुचिकित्साधिकारी

मुख्य विकास अधिकारी

1451

संलग्नक-4

मा0 मुख्यमंत्री जी निराश्रित गोवंश सहभागिता योजनान्तर्गत जनपदवार सूचना

जनपद का नाम–

क्र0सं0	लाभार्थी का नाम	पिता/पति का नाम	मो0न0	ग्राम	विकास खण्ड	बैंक का नाम /ब्रांच	खाता सं0	आई0एफ0एस0सी0 कोड
1	2	3	4	5	6	7	8	9

गोवंश की संख्या	सुपुर्दगी का दिनांक	विगत किश्त के भुगतान का दिनांक	विगत किश्त की भुगतान धनराशि (रू0में)	क्रमिक/कुल भुगतान धनराशि (रू0 में)	पोषण मिशन के अन्तर्गत होने की दशा में (✔) करें।
10	11	12	13	14	15

Annexure-56

संख्या– 1347/33–3–2022–

प्रेषक,

मनोज कुमार सिंह,
अपर मुख्य सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

1– निदेशक, पंचायतीराज, उ0प्र0।
2– समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0।
3– समस्त, मुख्य विकास अधिकारी, उ0प्र0।

पंचायतीराज अनुभाग–3 लखनऊः दिनाँक 03 जुलाई, 2022

विषयः–गो–आश्रय स्थल के निराश्रित गोवंश के भरण–पोषण हेतु विद्यमान गैप की प्रतिपूर्ति के सम्बन्ध में।

महोदय,

गो–आश्रय स्थल के निराश्रित गोवंश के भरण–पोषण में आ रही वित्तीय समस्या एवं व्यय तथा उपलब्ध वित्त पोषण के मध्य प्रति पशु प्रतिदिन के आ रहे गैप की प्रतिपूर्ति हेतु सक्षम स्तर पर सम्यक् विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि "राज्य वित्त आयोग में ग्राम पंचायतों को आवंटित धनराशि में कुछ अंश पूल कर जिस ग्राम पंचायत में गो–आश्रय स्थल स्थापित है, के साथ शेयर किए जाने तथा इस निमित्त उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम, 1947 की धारा–16 ए के अधीन व्यवस्था की जाय।"

2– इस सम्बन्ध में लिये गये निर्णय के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उ0प्र0 पंचायती राज अधिनियम, 1947 की धारा–16ए में यह व्यवस्था है कि "ग्राम पंचायतों को अधिकार होगा कि वह ऐसा धन और ऐसी संस्थाओं और कार्यों को जो कि उसकी अधिकार सीमा के बाहर स्थित हो, ऐसी सहायता दे सकती हो जो कि राज्य सरकार साधारण तथा विशेष रूप से आज्ञा दे।"

कृपया उपरोक्त व्यवस्थानुसार ग्राम पंचायत में स्थापित गो–आश्रय स्थल के निराश्रित गोवंश के भरण–पोषण हेतु नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित की जाय।

भवदीय,

29.7.22

3.8.22

(मनोज कुमार सिंह)
अपर मुख्य सचिव।

संख्या एवं दिनांक :–तदैव।

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– अपर मुख्य सचिव, पशुधन विभाग, उ0प्र0 शासन।

2– समस्त जिला पंचायत राज अधिकारी, उत्तर प्रदेश।

3– गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अवधेश कुमार खरे)

संयुक्त सचिव।

Annexure-57

संख्या- 1854 /33-2-2022-5913/2019

प्रेषक,

मनोज कुमार सिंह,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

पंचायतीराज अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक: 03 अगस्त, 2022

विषय :- निराश्रित गोवंश/दुर्घटनाग्रस्त बड़े पशुओं को परिवहन हेतु कैटल कैचर/मल्टी परपज वेहीकल की व्यवस्था किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत अधिनियम 1961 की धारा- 32 एवं 33 में क्रमश: क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत के अधिकार एवं कर्तव्य क्रमश: अनुसूची-1 व 2 में वर्णित है। उक्त अनुसूची-1 के बिन्दु सं0-4 में पशु सेवाओं के अनुरक्षण तथा अनुसूची-2 (क) के बिन्दु सं0-4 (क) में पशुपालन और पशु चिकित्सा सेवाओं की स्थापना एवं अनुरक्षण इत्यादि की व्यवस्था विद्यमान है। उक्त के अतिरिक्त पंचायतीराज अनुभाग-3 द्वारा निर्गत शासनादेश सं0-38/2020/1751/33-3-2020-38/2020, दिनांक 18 अगस्त, 2020 के प्रस्तर-7 में यह व्यवस्था है कि "पंचायतें अपने स्वामित्व वाले गो-आश्रय स्थलों के विकास व संचालन हेतु आवश्यक धनराशि का व्यय राज्य वित्त आयोग की धनराशि से करेंगी।" इस प्रकार गौ आश्रय स्थलों के विकास व संचालन मद में कैटिल कैचर वाहन का क्रय/ संचालन अनुमन्य श्रेणी का कार्य है।

3. उक्त के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जिलाधिकारी अपने जनपद की आवश्यकतानुसार कैटिल कैचर/मल्टीपरपज वेहिकल वाहन का क्रय कर सकते हैं अथवा किराये पर रख सकते हैं। उक्त के अतिरिक्त इस पूरे कार्य को भी आउट्सोर्स प्रति पशु के दर पर करते हुए संचालित किया जा सकता है । जिला पंचायत/ क्षेत्र पंचायत इस पर आने वाला व्यय राज्य वित्त आयोग/ स्वयं की आय से वहन किया जा सकता है ।

भवदीय,

3.8.22

(मनोज कुमार सिंह)
अपर मुख्य सचिव।

PTO-2

संख्या व दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. कृषि उत्पादन आयुक्त, उ0प्र0 शासन ।
2. अपर मुख्य सचिव, पशुधन विभाग, उ0प्र0 शासन ।
3. आयुक्त ग्राम्य विकास विभाग, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
4. समस्त मण्डलायुक्त उत्तर प्रदेश।
5. निदेशक, पंचायतीराज विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
6. उपनिदेशक, जिला पंचायत अनुश्रवण कोष्ठक, पंचायतीराज विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
7. समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
8. समस्त जिला पंचायतराज अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
9. अपर मुख्य अधिकारी, समस्त जिला पंचायतें, उत्तर प्रदेश।
10. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(बी0 चन्द्रकला)
विशेष सचिव।

महत्वपूर्ण / गोरक्षा

संख्या–2078 / सैंतीस–2–2022–5(53) / 2018टी0सी0–7

प्रेषक,

अपर मुख्य सचिव,
पशुधन विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. समस्त जिलाधिकारी,
   उ0प्र0।
2. निदेशक,
   प्रशासन एवं विकास,पशुपालन विभाग,
   उ0प्र0, लखनऊ।

पशुधन अनुभाग–2 दिनांकः अक्टूबर, 2022

विषयः निराश्रित गोवंश आश्रय स्थल से संबन्धित, विभिन्न कार्यकलापों का आनलाईन डाटा फीड़िग, गोआश्रय पोर्टल मोबाईल एप तथा धनराशि हस्तानान्तरण पी.एफ.एम.एस. के माध्यम से कराये जाने के संबंध में

महोदय,

आप अवगत है कि गौसंरक्षण सरकार की प्राथमिकता है। इस हेतु वर्ष 2019 में प्रख्यापित नीति के माध्यम से प्रदेश में 6384 गो–आश्रय स्थल स्थापित कर लगभग 9 लाख गोवंश को संरक्षित किया गया है, जिनमें से 1.47 लाख गोवंश मा0 मुख्यमंत्री सहभागिता योजनान्तर्गत सुपुर्दगी में दिये गये है। गो–आश्रय स्थलों पर किये जा रहे समस्त कार्यो के आन लाइन फीडिंग द्वारा योजना के सघन अनुश्रवण मूल्यांकन एवं प्रगति की अद्यावधिक जानकारी प्राप्त किये जाने हेतु गो–आश्रय पोर्टल **(https://up.goashray.in)** एवं मोबाईल एप विकसित किया गया है। उक्त पोर्टल के डैशबोर्ड पर गो–आश्रय स्थलों का विवरण, संरक्षित गोवंश, फण्ड–फ्लो आदि की समेकित सूचना / प्रगति का अंश पब्लिक डोमेन में भी देखा जा सकता है। नोडल अधिकारियों द्वारा गो–आश्रय स्थल के निरीक्षण के समय पायी गयी कमियों एवं सुझाव को उक्त गो–आश्रय पोटर्ल के साथ–साथ मोबाईल एप के माध्यम से आन–लाइन फीडिंग की सुविधा प्रदान की गयी है। मोबाईल एप के आफ–लाइन होने की स्थिति में इन्टरनेट एरिया प्राप्त होने पर डाटा को Sync किया जा सकेगा।

2– गो–आश्रय पोर्टल के अतिरिक्त मोबाईल एप से गोआश्रय स्थलों से संबंधित डाटा इन्ट्री किये जाने हेतु पशुपालन विभाग द्वारा ग्राम पंचायत एवं नगर निकाय स्तर पर लॉगिन आई0डी0 एवं पासवर्ड प्रदान किया गया है। (Goashray Management) **मोबाइल एप** गूगलप्ले स्टोर से सेल फोन पर डाउनलोड किया जा सकता है। गोआश्रय पोर्टल के माध्यम से गोआश्रय से संबंधित समस्त जानकारी समेकित रूप से एक स्थल पर उपलब्ध रहेंगी, जिसके माध्यम से गोआश्रय पोर्टल में लॉगिन कर गोआश्रय स्थल का नाम, गौशाला का प्रकार, केयर टेकर का नाम, मोबाईल नंम्बर, बैंक खाता संख्या, खाताधारक का नाम,गोवंश की संख्या,

गोचर भूमि, उपलब्ध भण्डार, टीकाकरण, टैंगिग एवं उत्पाद आदि से संबंधित इन्ट्री की जा सकेंगी।

3— गोआश्रय स्थलो के संचालन की प्रत्येक स्तर यथा—शासन, निदेशालय, जिलाधिकारी, मुख्य विकास अधिकारी, ब्लाक एवं मुख्य पशुचिकित्सा अधिकारी स्तर पर अध्यावधिक जानकारी प्राप्त होगी, त्वरित जानकारी हेतु डैश बोर्ड पर समेकित सूचना उपलब्ध रहेगी एवं सुगम फण्ड—फ्लो भी सुनिश्चित हो सकेगा।

4— निराश्रित गोवंश आश्रय स्थलों/मा0 मुख्यमंत्री निरश्रित/बेसहारा गोवंश सहभागिता योजना का वित्तीय प्रबंधन SNA एवं PFMS के माध्यम से किये जाने हेतु शासनादेश सं0—1038/सैतींस—2—2022—5(53)/2018 टी0सी0—1 निर्गत किया गया है, जिसके अनुसार निराश्रित गोवंश संरक्षण एवं भरण—पोषण तथा मा0 मुख्यमंत्री निराश्रित/बेसहारा गोवंश सहभागिता योजना के संचालन हेतु "उ0प्र0 गोवंश संरक्षण" के नाम से सिंगल नोडल एजेंसी (SNA) का एकल खाता निदेशालय स्तर पर आई0सी0आई0सी0आई0 बैंक में खोला गया है एवं निराश्रित गोवंश आश्रय स्थलों का वित्तीय प्रबंधन PFMS के माध्यम से किये जाने के लिए निदेशक, प्रशासन एवं विकास, पशुपालन विभाग, उ0प्र0 को नोडल अधिकारी नामित किया गया है।

5— जिलाधिकारी सुनिश्चित करेंगे कि प्रत्येक जनपद में आई0सी0आई0सी0आई0 बैंक में जीरों बैलेन्स एकाण्ट खोलकर PFMS के माध्यम से फण्ड ट्रांसफर की पारदर्शी व्यवस्था को लागू हो गयी है तथा जनपद स्तर पर उक्त खातों का संचालन मुख्य विकास अधिकारी एवं मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी के संयुक्त हस्ताक्षर से किया जा रहा है।

6— प्रदेश के 71 जनपदों में आई0सी0आई0सी0आई0 बैंक में जीरो बैलेंस खाता खोला जा चुका है। परन्तु जनपद देवरिया, गोण्डा, बहराइच एवं हापुड़ में खाता खोलना अद्यतन लम्बित है जिसे अविलम्ब सुनिश्चित करा लिया जाय।

7— गोआश्रय पोर्टल में गोआश्रय डैशबोर्ड, गो आश्रय प्रबन्धन, गोचर भूमि प्रबन्धन, गोवंश प्रबन्धन, भण्डार सूची, खपत/चेकआउट, गोआश्रय शॉप इन्वेंट्री, गोआश्रय शॉप सेल्स, निधि अनुरोध एवं व्यय नाम से 10 खंड है, जिनके अन्दर विस्तृत सूचना फीडिंग किया जाना है एवं समय—समय पर अद्यावधिक किया जाना है। गो—आश्रय पोर्टल के उपयोग हेतु उपयोगकर्ता पुस्तिका (संलग्नक—1) की प्रति एवं पोर्टल तथा मोबाईल एप पर डाटा फीडिंग का प्रारूप संलग्न है (संलग्नक—2) जिसमें गो—आश्रय बेवसाइट के उपयोग हेतु प्रक्रिया की सम्पूर्ण जानकारी दी गयी है।

8— पशुपालन निदेशालय स्तर पर CPMU का गठन किया गया है। उक्त यूनिट के प्रभारी श्री अरविन्द कुमार सिंह, अपर निदेशक (गोधन) पशुपालन विभाग उ0प्र0 लखनऊ का टेलीफोन नं0—7905466200 एवं CPMU का ई—मेल आई0डी0—upgoashray2022@gmail.com है। जिले स्तर पर विकास खण्ड में PMU (प्रोजेक्ट मॉनीटरिंग यूनिट) जिलाधिकारियों द्वारा खोली जाय जिससे सघन मॉनीटरिंग हो सके।

9— शासनादेश सं0—1373/सैंतीस—2—2022—5(53)/2018 टी0सी0—1 दिनांक 29.07.2022 संलग्नक—3 द्वारा गोआश्रय स्थलो पर फण्ड—फ्लो को सुगम बनाने, त्वरित मॉग प्रस्तुत करने एवं सत्यापन की सरलीकृत व्यवस्था की गयी है जिसका सम्यक अनुपालन कर लिया जाए।

10— अतः गोआश्रय पोर्टल पर कार्य करने हेतु उपयोगकर्ता पुस्तिका तथा गोआश्रय स्थलों के प्रभारियों द्वारा इन्ट्री किये जाने वाले Data का विवरण संलग्नकर प्रेषित करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया गोआश्रय पोर्टल को जनपद स्तर पर क्रियाशील कराने एवं पोर्टल पर गो—आश्रय स्थलों से सम्बन्धित समस्त सूचनाएं समयबद्ध रूप से अपलोड कराने का कष्ट करें।

संलग्नक—यथोक्त।

1. उपयोगकर्ता पुस्तिका
2. डाटा फीडिंग संबंधी निर्देश
3. शासनादेश दिनांक 29.07.2022

Signed by: डी0 रजनीश दुबे
Date: 13-10-2022 13:55:20
Reason: Approved

(डी0 रजनीश दुबे)
अपर मुख्य सचिव।

संख्या— 2078(1)/सैंतीस—2—2022 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :—

1. स्टाफ ऑफिसर, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
2. विशेष कार्याधिकारी, कृषि उत्पादन आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन।
3. समस्त मण्डलायुक्त उत्तर प्रदेश।
4. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(देवेन्द कुमार पाण्डेय)
विशेष सचिव।

संख्या–2078 / सैंतीस–2–2022–5(53) / 2018टी0सी0–7 का संलग्नक–2

गोआश्रय पोर्टल एवं मोबाईल एप पर डाटा फीड़िग के संबन्ध में:–

मुख्य डेटा	द्वारा भरा गया डेटा	के द्वारा अनुमोदित
गोश्रेय की जानकारी	ग्राम पंचायत	बी.डी.ओ
गोचर भूमि की जानकारी	ग्राम पंचायत	बी.डी.ओ
निरीक्षण	संबन्धित अधिकारी जिनके द्वारा निरीक्षण किया गया	
गोवंश प्रबंधन		
अपडेट गोवंश टैग नम्बर	पशु चिकित्सा अधिकारी	
गोवंश का प्रबंधन करें	ग्राम पंचायत	
सहभागिता योजना	बी.डी.ओ	
सूची प्रबंधन		
सूची जोडें	ग्राम पंचायत	
खपत / चेकआउट	ग्राम पंचायत	
गोआश्रय शॉप इन्वेंटरी	ग्राम पंचायत	
गोआश्रय से उत्पादों की बिक्री	ग्राम पंचायत	
गोवंश केयर		
गोवंश उपचार	पशु चिकित्सा अधिकारी	
गोवंश टीकाकरण	पशु चिकित्सा अधिकारी	
बधिया**करण**	पशु चिकित्सा अधिकारी	
कृत्रिम गर्भाधान	पशु चिकित्सा अधिकारी	
काफ बार्न	पशु चिकित्सा अधिकारी	
निधि प्रबंधन		
फंड अनुरोध	ग्राम पंचायत	मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी
फंड रिलीज		मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी
व्यय	ग्राम पंचायत	
सहभागिता योजना फंड रिलीज		मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी
सहभागी फंड रिलीज		मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी

महत्वपूर्ण

संख्या–05 / सैंतीस–2–2023–5(53) / 18–टी.सी.–2

प्रेषक,

दुर्गा शंकर मिश्र,
मुख्य सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

1– समस्त मण्डलायुक्त,
उत्तर प्रदेश

2– समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश

पशुधन अनुभाग–2 लखनऊ :: दिनांक 04 जनवरी, 2023

विषय–प्रदेश में निराश्रित गोवंश के दिनांक 31.03.2023 तक शत–प्रतिशत संरक्षण के सम्बन्ध में

महोदय,

प्रदेश में लम्पी स्कीन डिजीज (LSD) के पूर्णतया नियंत्रण में आ जाने के उपरान्त निराश्रित गोवंश को संरक्षित किये जाने पर लगाये गये प्रतिबन्ध को समाप्त करते हुए पूर्व की भांति निराश्रित गोवंशों को संरक्षित किये जाने के निर्देश शासनादेश संख्या–2264 / सैंतीस–2–2022, दिनांक 07.11.2022 द्वारा दिये गये थे। शासन स्तर पर समीक्षा के उपरान्त यह पाया गया कि अभी तक शत–प्रतिशत निराश्रित गोवंश का संरक्षण नहीं किया जा सका है।

2. आप अवगत हैं कि वर्तमान में प्रदेश में शीत लहर का प्रकोप है। ऐसी स्थिति में शेष निराश्रित गोवंश को आश्रय स्थलों में तत्काल संरक्षित किये जाने की आवश्यकता है। गो–आश्रय स्थलों में संरक्षित गोवंश को ठण्ड से बचाव हेतु आवश्यक उपाय किये जाने के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या–2516 / सैंतीस–2–2022–5(53) / 18टीसी–2, दिनांक 14.12.2022 द्वारा निर्देश निर्गत किये गये हैं।

3. निराश्रित गोवंश का शत–प्रतिशत संरक्षण दिनांक 31.03.2023 तक किये जाने हेतु वीडियों कान्फ्रेसिंग के माध्यम से निर्देश दिया जा चुका है। इस सम्बन्ध में जिले स्तर पर गतिशीलता लाने की आवश्यकता है। यह भी आवश्यक है कि निराश्रित गोवंश के संरक्षण की प्रगति हेतु जिलाधिकारी स्तर पर पाक्षिक रूप से समीक्षा की जाय। इसी प्रकार मुख्य विकास अधिकारी के स्तर पर साप्ताहिक समीक्षा की जाय।

4. अतः उक्त के परिप्रेक्ष्य में आपको निर्देशित किया जाता है कि निराश्रित गोवंश संरक्षण के सम्बन्ध में निम्नानुसार कार्यवाही तत्काल सुनिश्चित कराने का कष्ट करें:–

(1) पशुधन विभाग द्वारा निर्धारित पुनरीक्षित लक्ष्य के सापेक्ष नये अस्थायी गो–आश्रय स्थलों का निर्माण दिनांक 15.01.2023 तक पूर्ण करा लिया जाय।

(2) जनपद में निर्माणाधीन स्थायी गो–संरक्षण केन्द्रों का निर्माण कार्य दिनांक 28.02.2023 तक पूर्ण करा लिया जाय।

(3) दिनांक 31.03.2023 तक शत–प्रतिशत निराश्रित गोवंश को आश्रय स्थलों / केन्द्रों में संरक्षित किया जाय। जिलाधिकारियों द्वारा इस आशय का प्रमाण–पत्र प्रस्तुत किया जाय कि जनपद में कोई निराश्रित गोवंश शेष नहीं है।

(4) संरक्षित निराश्रित गोवंश के भरण–पोषण में आ रहे व्यय की SFC पूलिंग के सम्बन्ध में शासनादेश दिनांक 03 जुलाई, 2022 का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराया जाय तथा Parent ग्राम पंचायत को तत्काल पूलिंग के माध्यम से धनराशि हस्तान्तरित की जाय, जिससे निराश्रित गोवंश के भरण–पोषण में धनाभाव की स्थिति उत्पन्न न हो। इस हेतु मुख्य विकास अधिकारी, जिला पंचायत अधिकारी एवं खण्ड विकास अधिकारी के साथ समन्वय / समीक्षा करते हुए SFC फण्ड पूलिंग 07 दिन में सुनिश्चित की जाय।

(5) ग्रामीण क्षेत्रों के लिए कैटिल कैचर क्रय की प्रगति अत्यन्त कम है। अनेक जनपदों में क्रयादेश तक निर्गत नहीं हुआ है। अतः कैटिल कैचर हेतु 07 दिन के भीतर क्रयादेश निर्गत करते हुए दिनांक 31.01.2023 तक क्रय की कार्यवाही सुनिश्चित की जाय।

(6) निराश्रित गोवंश संरक्षण की साप्ताहिक प्रगति की सूचना प्रत्येक शुक्रवार को मुख्य विकास अधिकारी/मुख्य पशुचिकित्सा अधिकारी के संयुक्त हस्ताक्षर से निर्धारित प्रारूप पर पशुपालन निदेशालय को उपलब्ध करायी जाय।

कृपया उपर्युक्त आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

Signed by दुर्गा शंकर मिश्र
Date: 04-01-2023 11:23:50
Reason: Approved

(दुर्गा शंकर मिश्र)
मुख्य सचिव।

संख्या–05(1)/सैंतीस–2–2023तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

(1) अपर मुख्य सचिव, मा0 मुख्य मंत्री जी, उ0प्र0 शासन।

(2) अपर मुख्य सचिव, पंचायतीराज विभाग, उ0प्र0 शासन।

(3) निदेशक, प्रशासन एवं विकास, पशुपालन विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।

आज्ञा से,

(देवेन्द्र कुमार पाण्डेय)
विशेष सचिव।

शासनादेश सं0 05/सैंतीस–2–2022–5(53)/18टी0सी0–2/ दिनांक 04.01.23 के कम में (प्रत्येक शुक्रवार) साप्ताहिक सूचना का प्रारूप

जनपद	कुल संरक्षित (अ0गो0आ0स्थ0, कान्हा, कॉजी हाऊस, वृहद)				सहभागिता					कुल संरक्षित (अ0गो0आ0स्थ0, कान्हा, कॉजी हाऊस, वृहद, मृत गोवंश एवं सहभागिता)	एस0 एफ0 सी0 पूलिंग (धनराशि रू0 में)		कैटिल कैचर			अभ्युक्ति
	लक्ष्य	सप्ताह में संरक्षित	कमिक संरक्षित	अवशेष निराश्रित गोवंश	साप्ताहिक		कमिक		कुल कमिक योग पोषण मिशन+सामान्य		साप्ताहिक	कमिक	शहरी	ग्रामीण	योग	
					पोषण मिशन	सामान्य	पोषण मिशन	सामान्य								

हस्ताक्षर मु0प0चि0अ0

हस्ताक्षर मुख्य विकास अधिकारी

संख्या–103 / सैंतीस–2–2023–5(53) / 18टीसी–4

प्रेषक,

दुर्गा शंकर मिश्र,
मुख्य सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

1– समस्त मण्डलायुक्त,
उत्तर प्रदेश

2– समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश

पशुधन अनुभाग–2 लखनऊ :: दिनांक 16 जनवरी, 2023

विषय–प्रदेश में निराश्रित गोवंश के दिनांक 31.03.2023 तक शत–प्रतिशत संरक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

आप अवगत हैं कि निराश्रित गोवंश का शत–प्रतिशत संरक्षण एवं उनका भरण–पोषण सरकार की शीर्ष प्राथमिकताओं में है। इसी क्रम में दिनांक 31.03.2023 तक निराश्रित गोवंश का शत–प्रतिशत संरक्षण किये जाने हेतु वीडियों कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से निर्देश दिये जा चुके हैं। इस सम्बन्ध में शासनादेश संख्या–2264 / सैंतीस–2–2022, दिनांक 07.11.2022 एवं शासनादेश संख्या–05 / सैंतीस–2–2023–5(53) / 18–टी0सी0–2, दिनांक 04.01.2023 निर्गत किया जा चुका है।

2. शासन स्तर पर समीक्षा के उपरान्त यह पाया गया कि अभी तक शत–प्रतिशत निराश्रित गोवंश का संरक्षण नहीं किया जा सका है। इस सम्बन्ध में अपेक्षित प्रगति न होने का एक प्रमुख कारण ग्रामीण क्षेत्रों में कैटिल कैचर की उपलब्धता अत्यन्त कम होना है। अतः प्रत्येक तहसील हेतु न्यूनतम एक कैटिल कैचर दिनांक 31.01.2023 तक क्रय कर लिये जाय।

3. इसी प्रकार समीक्षा में SFC फण्ड पूलिंग की प्रगति भी अत्यन्त न्यून पायी गयी है। अतः Parent ग्राम पंचायत को तत्काल पूलिंग के माध्यम से धनराशि हस्तान्तरित की जाय, जिससे निराश्रित गोवंश के भरण–पोषण में धनाभाव की स्थिति उत्पन्न न हो। उपर्युक्त SFC फण्ड पूलिंग एवं कैटिल कैचर के समय से क्रय हेतु मुख्य विकास अधिकारी व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होगे।

4. उपर्युक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित कराते हुए मुख्य विकास अधिकारी एवं मुख्य पशुचिकित्साधिकारी के संयुक्त हस्ताक्षर से निर्धारित प्रारूप पर साप्ताहिक प्रगति रिपोर्ट निदेशक, प्रशासन एवं विकास, पशुपालन विभाग को उपलब्ध करायी जाय।

कृपया उपर्युक्त आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

Signed by दुर्गा शंकर मिश्र (दुर्गा शंकर मिश्र)
Date: 16-01-2023 11:54:01
Reason: Approved

मुख्य सचिव।

57

संख्या– 103(1)/सैंतीस–2–2023तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

(1) विशेष कार्याधिकारी, कृषि उत्पादन आयुक्त, उ0प्र0 शासन।
(2) अपर मुख्य सचिव, पंचायतीराज विभाग, उ0प्र0 शासन।
(3) निदेशक, प्रशासन एवं विकास, पशुपालन विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।

आज्ञा से,

(देवेन्द्र कुमार पाण्डेय)
विशेष सचिव।

Annexure-61

File No.37-2099/37/2020- -2-

302861/2023

महत्वपूर्ण / प्राथमिकता
संख्या–80सी0एम0 / सैंतीस–2–2023–5(53) / 18टीसी–6

प्रेषक,

दुर्गा शंकर मिश्र,
मुख्य सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

1– समस्त मण्डलायुक्त
उत्तर प्रदेश।

2– समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

3– आयुक्त,
ग्राम्य विकास विभाग,
उ0प्र0 लखनऊ।

4– निदेशक,
पंचायतीराज विभाग,
उ0प्र0 लखनऊ।

5– निदेशक,
प्रशासन एंव विकास,
पशुपालन विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।

पशुधन अनुभाग–2

लखनऊ :: दिनांक 18 अप्रैल, 2023

विषय–निराश्रित गोवंश के संरक्षण एवं भरण–पोषण की गाइडलाइन में संशोधन एवं प्रभावी कियान्वयन के संबंध में।

महोदय,

आप अवगत हैं कि निराश्रित गोवंश संरक्षण एवं भरण–पोषण वर्तमान सरकार की शीर्ष प्राथमिकताओं में से है। इस सम्बन्ध में समय–समय पर शासनादेश निर्गत किये गये हैं। शासनादेश संख्या–1038 / सैंतीस–2–2022–5(53) / 2018टी0सी0–1, दिनांक 15.07.2022 द्वारा निराश्रित गोवंश आश्रय स्थलों / मा0 मुख्यमंत्री निराश्रित / बेसहारा गोवंश सहभागिता योजना का वित्तीय प्रबन्धन SNA एवं PFMS के माध्यम से से किये जाने के निर्देश है। शासनादेश संख्या–1373 / सैंतीस–2–2022–5(53) / 2018टी0सी0–1, दिनांक 28.07.2022 द्वारा गोवंश आश्रय स्थलों के वित्तीय प्रबन्धन से सम्बन्धित शासनादेश दिनांक 11.02.2019 में निहित प्रकिया का सरलीकरण किया गया है। शासनादेश संख्या–05 / सैंतीस–2–2022–5(53) / 2018टी0सी0–2, दिनांक 04.01.2023 द्वारा प्रदेश में निराश्रित गोवंश को दिनांक 31.03.2023 तक शत–प्रतिशत संरक्षित किये जाने के निर्देश निर्गत किये गये हैं।

2. शासन स्तर पर उच्च स्तरीय बैठक में विचार–विमर्श के उपरान्त उक्त प्रकिया में तेजी लाये जाने के लिये कतिपय निर्देश निर्गत किये गये हैं, जिसके कम में निम्नवत् कार्यवाही किये जाने का निर्णय लिया गया है:–

(1) प्रत्येक गौ आश्रय स्थलों में संरक्षित गोवंश का खण्ड विकास अधिकारी / सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) तथा पशुचिकित्सा अधिकारी प्रत्येक माह की 25 से 30 तारीख के मध्य सत्यापित करते हुये सत्यापन रिपोर्ट ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से प्रत्येक माह की 30 तारीख को मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी को प्रस्तुत की जाय तथा प्रत्येक माह की 01 से 03 तारीख के मध्य मुख्य पशु चिकित्साधिकारी एवं मुख्य विकास अधिकारी के संयुक्त हस्ताक्षर से ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से सत्यापन रिपोर्ट निदेशक, पशुपालन विभाग को ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से प्रेषित की जाय। प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर गोवंशों के भरण पोषण हेतु धनराशि सम्बन्धित गो आश्रय स्थल (सम्बन्धित पंचायत), गो आश्रय स्थल का संचालन करने वाली समिति अथवा संस्था (यथा स्थिति) को प्रत्येक माह की 5 तारीख तक डी0बी0टी0 के माध्यम से पशुपालन निदेशालय द्वारा सीधे हस्तान्तरित किया जाय।

(2) मा0 मुख्यमंत्री निराश्रित/बेसहारा गोवंश सहभागिता योजना के अन्तर्गत सुपुर्दगी में दिये गये गोवंश का प्रत्येक माह की 25–28 तारीख के मध्य सत्यापन ग्राम विकास अधिकारी/ग्राम पंचायत अधिकारी एवं लेखपाल के द्वारा किया जाय एवं सत्यापन रिपोर्ट संयुक्त हस्ताक्षर से विकास खण्ड कार्यालय में उपलब्ध करायी जाय। सम्बन्धित पशुचिकित्साधिकारी एवं खण्ड विकास अधिकारी द्वारा संयुक्त रूप से प्रति हस्ताक्षरित सत्यापन रिपोर्ट 30 तारीख तक मुख्य पशुचिकित्साधिकारी कार्यालय में ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से प्रेषित की जाय। उक्त के पश्चात 01–03 तारीख तक मुख्य पशुचिकित्साधिकारी एवं मुख्य विकास अधिकारी द्वारा संयुक्त प्रतिहस्ताक्षरित रिपोर्ट निदेशक, पशुपालन विभाग को प्रेषित की जाय। प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर गोवंशों के भरण–पोषण हेतु धनराशि सहभागिता योजना के लाभार्थियों को प्रत्येक माह की 05 तारीख तक डी0बी0टी0 के माध्यम से पशुपालन निदेशालय द्वारा सीधे हस्तान्तरित किया जाय।

(3) गोवंश की बीमारी की दशा में उनका समुचित उपचार सम्बन्धित पशुचिकित्साधिकारी द्वारा सुनिश्चित किया जाय तथा उपचारित गोवंश का विवरण प्रत्येक माह पोर्टल पर अपलोड किया जाय। इलाज के साथ–साथ पौष्टिक आहार भी समुचित मात्रा में गो आश्रय स्थल का संचालन करने वाली संस्था/सम्बन्धित पंचायत द्वारा उपलब्ध कराया जाय। गो आश्रय स्थलों में संरक्षित गोवंश के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखा जाये। गो आश्रय स्थलों में गोवंश कमजोर पाये जाने की दशा में संबंधित अधिकारी/कर्मचारी की जिम्मेदारी तय की जाय। SFC फण्ड पुलिंग समय से पंचायतों को उपलब्ध कराने का दायित्व सन्बन्धित खण्ड विकास अधिकारी का होगा। इसके अतिरिक्त प्रभारी पशुचिकित्साधिकारी द्वारा अपने गो आश्रय स्थल में संरक्षित गोवंश का रूटीन मासिक स्वास्थ्य परीक्षण कर ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड किया जाय।

(4) गो आश्रय स्थलों में संरक्षित गोवंश की देख भाल हेतु दिन व रात के लिए सम्बन्धित पंचायत द्वारा केयर टेकर की व्यवस्था की जाये। संरक्षित गोवंश को घुमाने की जिम्मेदारी भी केयर टेकर की है। गो आश्रय स्थलों में संरक्षित गोवंश की तस्करी किसी भी दशा में नहीं होनी चाहिए। गोवंश की मृत्यु की दशा में तत्काल विधि पूर्वक शव का अंतिम संस्कार किया जाय।

(5) गो आश्रय स्थलों से समाज के प्रतिष्ठित व्यक्तियों को जोडते हुये सामाजिक सहयोग प्राप्त किया जाय। ग्राम स्तर पर गो आश्रय स्थल के समुचित संचालन हेतु प्रबन्ध समिति को समर्थ बनाया जाय।

(6) शमशानघाटों पर दाह संस्कार हेतु लकड़ी के साथ–साथ गोकाष्ठ का प्रयोग भी प्रोत्साहित किया जाय। गो आश्रय स्थलों में संरक्षित गोवंश के गोबर से गोकाष्ठ बनाकर उसे विकय करते हुये, उसके विकय से प्राप्त आय को संरक्षित गोवंश के भरण–पोषण हेतु प्रयोग किया जाय। जिलाधिकारियों द्वारा सम्यक पर्यवेक्षण करते हुए इसे सुनिश्चित किया जाय।

(7) गो आश्रय स्थलों को स्वावलम्बी बनाये जाने हेतु जनपद–बदायूँ में तैयार किये जा रहे गो पेन्ट की तर्ज पर प्रत्येक जनपद में न्यूनतम एक महिला समूह इस निमित्त विकसित करते हुए एवं गो आश्रय स्थल से लिंकेज स्थापित करते हुए गो पेन्ट तैयार किये जाने की कार्यवाही की जाय।

(8) निर्माणाधीन गो आश्रय स्थलों को उच्च गुणवत्त के साथ यथाशीघ्र पूर्ण कराया जाय।

(9) राज्य सरकार द्वारा पशु संवर्धन एवं संरक्षण के लिये चलायी जा रही सभी योजनाओं का व्यापक प्रचार–प्रसार किया जाय ताकि पात्र लोगों को इसका लाभ मिल सके।

/302861/2023 (10) पशुपालकों को आपातकालीन सहायता के लिये टोलफ्री हेल्पलाइन नं0–1962 का व्यापक प्रचार–प्रसार किया जाय।

3. वित्त विभाग से प्राप्त परामर्श के अनुसार निराश्रित गोवंश आश्रय स्थलों/सहभागिता योजना का वित्तीय प्रबन्धन SNA के स्थान पर डी0बी0टी0 के माध्यम से किया जाय। अतः इस सम्बन्ध में संगत शासनादेश द्वारा निर्गत उक्त व्यवस्था को निरस्त करते हुए शासन द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि गोवंश आश्रय स्थलों/मा0 मुख्यमंत्री निराश्रित/बेसहारा गोवंश सहभागिता योजना का वित्तीय प्रबन्धन DBT के माध्यम से किया जाय।

4. ग्रामीण व शहरी क्षेत्र में कोई भी निराश्रित गोवंश सड़क/खेतों में विचरण करता हुआ न पाया जाये। विचरण कर रहे समस्त गोवंश को गो आश्रय स्थलों में तत्काल संरक्षित कराया जाये। प्रत्येक जिलाधिकारी द्वारा इस आशय का प्रमाण–पत्र उपलब्ध कराया जाय कि उनके जनपद में कोई निराश्रित गोवंश सड़क/खेतों में विचरण नहीं कर रहा है।

5. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उपर्युक्तानुसार कार्यवाही शीर्ष प्राथमिकता पर समयबद्ध रूप से सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

Signed by दुर्गा शंकर मिश्र
Date: 17-04-2023 13:18:50
Reason: Approved

(दुर्गा शंकर मिश्र)
मुख्य सचिव।

संख्या–80सी0एम0(1)/सैंतीस–2–2023 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– अपर मुख्य सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उ0प्र0 शासन।
2– स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
3– विशेष कार्याधिकारी, कृषि उत्पादन आयुक्त, उ0प्र0 शासन।
4– अपर मुख्य सचिव, पंचायती राज, उ0प्र0 शासन।
5– प्रमुख सचिव, ग्राम्य विकास, उ0प्र0 शासन।
6– प्रमुख सचिव, नगर विकास, उ0प्र0 शासन।
7– निदेशक, प्रशासन एवं विकास, पशुपालन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
8– गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(देवेन्द्र कुमार पाण्डेय)
विशेष सचिव।

Annexure-62

संख्या–1538/सैंतीस–2–2023–5(53)/18टीसी–6

प्रेषक,

शिव सहाय अवस्थी,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1– समस्त जिलाधिकारी,
उ0प्र0।
2– निदेशक,
प्रशासन एवं विकास,
पशुपालन विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।

पशुधन अनुभाग–2 लखनऊ :: दिनांक 11 जुलाई, 2023

विषयः–निराश्रित गोवंश के संरक्षण एवं भरण–पोषण की गाइडलाइन में संशोधन एवं डी0बी0टी0 प्रक्रिया के प्रभावी क्रियान्वयन के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या 80 सीएम/सैंतीस–2–2023–5(53)/ 18टीसी–6 दिनांक 18.04.2023 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा प्रत्येक गो–आश्रय स्थलों एवं मा0 मुख्यमंत्री निराश्रित/बेसहारा गोवंश सहभागिता योजनान्तर्गत सुपुर्दगी में दिये गये गोवंश के भरण–पोषण की धनराशि डी0बी0टी0 के माध्यम से पशुपालन निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ द्वारा सीधे हस्तान्तरित किये जाने के निर्देश प्रदान किये गये हैं।

2– उपर्युक्त संदर्भित शासनादेश दिनांक 18.04.2023 द्वारा डी0बी0टी0 के माध्यम से धनराशि हस्तान्तण किये जाने की प्रकिया में तेजी लाये जाने हेतु शासन स्तर पर सम्यक विचारोपरान्त निम्नवत् कार्यवाही किये जाने का निर्णय लिया गया हैः–

(1) प्रदेश के गो–आश्रय स्थलों में संरक्षित गोवंश एवं उनसे संबंधित विभिन्न कार्य कलापों का ऑनलाइन रियल टाइम मॉनिटरिंग, मूल्याँकन एंव वित्तीय प्रबन्धन हेतु गो–आश्रय पोर्टल व मोबाइल एप तैयार कर लिया गया हैं। गो–आश्रय पोर्टल पर प्रत्येक गो–आश्रय स्थल का बैंक खाता विवरण तथा संरक्षित गोवंश के सम्पूर्ण डाटा इन्ट्री किये चुके हैं। गो–आश्रय पोर्टल को कोषागार के साथ इन्ट्रीग्रेट करते हुए डी0बी0टी0 प्रक्रिया का संचालन किया जायेगा।

(2) प्रत्येक गौ–आश्रय स्थल में डी0बी0टी0 द्वारा भुगतान करने की प्रक्रिया के प्रथम चरण में गो–आश्रय स्थल से सम्बन्धित ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा प्रत्येक माह की 25 तारीख तक मोबाइल एप के माध्यम से भरण–पोषण की धनराशि गोवंश संख्या के सापेक्ष फण्ड रिक्वेस्ट अपलोड की जायेगी। इसके उपरान्त उपर्युक्त डिमान्ड खण्ड विकास अधिकारी के वेब पेज पर प्रदर्शित होगी। संबंधित खण्ड विकास अधिकारी/सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) तथा पशुचिकित्साअधिकारी द्वारा प्रत्येक माह की 25 से 30 तारीख तक ऑनलाइन एप के माध्यम से गो–आश्रय स्थल में जाकर संरक्षित गोवंश का संयुक्त हस्ताक्षरित रिर्पोट पोर्टल के माध्यम से अपलोड किया जायेगा, जिसके लिए गो–आश्रय स्थलों की जियो–फैनसिंग की गयी हैं। प्रत्येक माह की 01 से 03 तारीख के मध्य मुख्य पशुचिकित्साअधिकारी एवं मुख्य विकास अधिकारी के संयुक्त हस्ताक्षर से ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से सत्यापन रिर्पोट निदेशक, पशुपालन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ को ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम

से प्रेषित की जायेगी। प्राप्त रिर्पोट के आधार पर गोवंशो के भरण–पोषण हेतु धनराशि सम्बन्धित गो–आश्रय स्थल (सम्बन्धित पंचायत), गो आश्रय स्थल का संचालन करने वाली समिति अथवा संस्था (यथास्थिति) को प्रत्येक माह की 05 तारीख तक डी0बी0टी0 के माध्यम से सीधे हस्तान्तरित की जायेगी।

(3) मा0 मुख्यमंत्री निराश्रित/बेसहारा गोवंश सहभागिता योजना के अन्तर्गत लाभार्थी को डी0बी0टी0 द्वारा भुगतान करने की प्रक्रिया के द्वितीय चरण में सुपुर्दगी में दिये गये गोवंश का प्रत्येक माह की 25–28 तारीख के मंध्य सत्यापन ग्राम विकास अधिकारी/ग्राम पंचायत अधिकारी एवं लेखपाल के द्वारा किया जायेगा एवं फण्ड रिक्वेस्ट व सत्यापन रिर्पोट संयुक्त हस्ताक्षर से सम्बन्धित विकास खण्ड अधिकारी को उपलब्ध करायी जायेगी। सम्बन्धित पशुचिकित्साधिकारी एवं खण्ड विकास अधिकारी द्वारा संयुक्त रूप से हस्ताक्षरित सत्यापन रिर्पोट प्रत्येक माह की 30 तारीख तक मुख्य पशुचिकित्साधिकारी कार्यालय में ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से प्रेषित की जायेगी। उक्त के पश्चात 01–03 तारीख तक मुख्य पशुचिकित्साधिकारी एवं मुख्य विकास अधिकारी द्वारा संयुक्त प्रतिहस्ताक्षरित रिपोर्ट पोर्टल के माध्यम से निदेशक, पशुपालन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ को प्रेषित की जायेगी। प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर गोवंशो के भरण–पोषण हेतु धनराशि सहभागिता योजना के लाभार्थियों को प्रत्येक माह की 05 तारीख तक डी0बी0टी0 के माध्यम से पशुपालन निदेशालय द्वारा सीधे हस्तान्तरित की जायेगी। उपरोक्त गाइडलाइन का जुलाई–2023 से अनुपालन किया जाये, जिससे सहभागिता योजनान्तर्गत लाभार्थियों को माह जुलाई–2023 का भुगतान डी0बी0टी0 के माध्यम से सुनिश्चित हो सके।

(4) प्रत्येक गो–आश्रय स्थल को डी0बी0टी0 द्वारा भुगतान से सम्बन्धित प्रक्रिया के प्रत्येक चरण में सम्मिलित अधिकारियों एवं कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया जाना नितान्त आवश्यक है। पशुपालन निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ में दिनाँक 05–07–2023 को डी0बी0टी0 हेतु ट्रेनिंग ऑफ ट्रेनर्स 10:00 बजे से 01:00 बजे तक प्रशिक्षण दिया गया है। जिसमें पोर्टल विकसित करने वाली एजेन्सी तथा एकीकृत नियन्त्रण कमान केन्द्र द्वारा प्रत्येक जनपद से नामित नोडल अधिकारी व कम्प्यूटर ऑपरेटर को मास्टर ट्रेनर के रूप में प्रशिक्षित किया जा चुका है। इन मास्टरट्रेनर द्वारा सम्बन्धित जनपद में समस्त अधिकारियों/कर्मचारियों (उप जिलाधिकारी, बी0डी0ओ0, लेखपाल एवं ग्राम पंचायत अधिकारी) को दिनांक 07.07.2023 को प्रशिक्षण प्रदान किया गया हैं। समस्त गो–आश्रय स्थलों को भरण–पोषण की धनराशि जुलाई–2023 में डी0बी0टी0 के माध्यम से की जा सके।

3– इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया उपर्युक्तानुसार कार्यवाही शीर्ष प्राथमिकता पर समयबद्ध रूप से सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(शिव सहाय अवस्थी)
Signed by शिव सहाय अवस्थी
Date: 11-07-2023 16:35:23
Reason: Approved

1471

Annexure-63

महात्वपूर्ण

सं0–1706/सैंतीस–2–2023–5(53)/2018

प्रेषक,

दुर्गा शंकर मिश्र,
मुख्य सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

1. समस्त मण्डलायुक्त
उ0प्र0।
2. समस्त जिलाधिकारी,
उ0प्र0।
3. निदेशक,
प्रशासन एवं विकास,
पशुपालन विभाग, उ0प्र0 लखनऊ
4. आयुक्त,
ग्राम विकास विभाग,
उ0प्र0,लखनऊ
5. निदेशक,
पंचायती राज विभाग,
उ0प्र0 लखनऊ

पशुधन अनुभाग–2

लखनऊः दिनॉक: 17 जुलाई, 2023

विषय–निराश्रित गोवंश के संरक्षण एवं भरण–पोषण के सम्बन्ध में निर्गत दिशा–निर्देशों के प्रभावी कियान्वयन हेतु गो आश्रय स्थलवार माइक्रो मैनेजमेंट के पर्यवेक्षण के सम्बन्ध में

महोदय,

आप अवगत हैं कि प्रदेश सरकार निराश्रित गोवंश संरक्षण एवं भरण–पोषण हेतु कृत संकल्पि है। इस हेतु उ0प्र0 के समस्त ग्रामीण एवं शहरी स्थानीय निकायों (यथा ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत, नगर पंचायत, नगर पालिका, नगर निगमों) में अस्थायी गोवंश आश्रय स्थल की स्थापना व संचालन नीति का प्रख्यापन शासनादेश संख्या–4324/सैंतीस–2–2018–5(53)/2018, दिनांक 02.01.2019 द्वारा किया गया है। अग्रेतर उक्त नीति के कियान्वयन हेतु शासनादेश दिनांक 28.01.2019 द्वारा परामर्शी मार्ग निर्देश निर्गत किये गये हैं। इस योजना के कियान्वयन में जनसहभागिता सुनिश्चित किये जाने के उद्देश्य से शासनादेश संख्या–3256/सैंतीस–2–2019–30(4)/2019, दिनांक 08.08.2019 द्वारा 'मा0 मुख्यमंत्री निराश्रित/बेसहारा गोवंश सहभागिता योजना' का प्रख्यापन किया गया है। महिलाओं, बच्चों एवं अन्य आयु वर्ग में कुपोषण की दर को कम किये जाने के उद्देश्य से शासनादेश संख्या–4938/सैंतीस–2–2020–30(4)/19, दिनांक 12.09.2020 द्वारा 'मा0 मुख्यमंत्री निराश्रित/बेसहारा गोवंश सहभागिता योजना' के अन्तर्गत कुपोषित बच्चों के पात्र एवं इच्छुक परिवारों को जिले में स्थापित एवं संचालित विभिन्न गो आश्रय स्थलों से गाय उपलब्ध कराये जाने के निर्देश निर्गत किये गये हैं।

2. गो आश्रय स्थल के निराश्रित गोवंश के भरण–पोषण में आ रही वित्तीय समस्या एवं व्यय तथा उपलब्ध वित्त पोषण के मध्य प्रतिपशु प्रतिदिन के आ रहे गैप की प्रतिपूर्ति हेतु यह निर्णय लिया गया है कि 'राज्य वित्त आयोग में ग्राम पंचायतों को आवंटित धनराशि में कुछ अंश पूल कर जिस ग्राम पंचायत में गो आश्रय स्थल स्थापित है, के साथ शेयर किये जाने तथा इस निमित्त उ0प्र0 पंचायतीराज अधिनियम 1947 की धारा–16ए के अधीन व्यवस्था की जाये।' उ0प्र0 पंचायतीराज अधिनियम 1947 की धारा–16ए में यह व्यवस्था है कि 'ग्राम पंचायतों को अधिकार होगा कि वह ऐसा धन और ऐसी संस्थाओं और कार्यो को जो कि उसकी अधिकार सीमा के बाहर स्थित हो, ऐसी सहायता दे सकती हो, जो कि राज्य सरकार साधारण तथा विशेष रूप से आज्ञा दे।' उक्त के क्रम में पंचायतीराज विभाग, उ0प्र0 शासन के शासनादेश संख्या–1347/33–3–2022, दिनांक 03.07.2022

द्वारा ग्राम पंचायत में स्थापित गो आश्रय स्थल के निराश्रित गोवंश के भरण–पोषण हेतु कार्यवाही किये जाने के निर्देश निर्गत किये गये है।

3. निराश्रित गोवंश/दुर्घटना ग्रस्त बड़े पशुओं को परिवहन हेतु कैटल कैचर/मल्टी परपज वेहिकल की व्यवस्था किये जाने के सम्बन्ध में पंचायतीराज विभाग, उ0प्र0 शासन के शासनादेश संख्या–1854/33–2–2022–5913/2019, दिनांक 03.08.2022 में यह व्यवस्था है कि जिलाधिकारी अपने जनपद की आवश्यकतानुसार कैटिल कैचर/मल्टीपरपज वेहिकल वाहन का क्रय कर सकते है अथवा किराये पर रख सकते है। उक्त के अतिरिक्त इस पूरे कार्य को भी आउट्सोर्स प्रति पशु के दर पर करते हुए संचालित किया जा सकता है। जिला पंचायत/क्षेत्र पंचायत इस पर आने वाला व्यय राज्य वित्त आयोग/स्वयं की आय से वहन किया जा सकता है।

4. निराश्रित गोवंश का शत–प्रतिशत संरक्षण किये जाने हेतु शासनादेश संख्या–822/सैंतीस–2–2022–5(53)/2018टी0सी0–1, दिनांक 01.06.2023 द्वारा यह निर्देश दिये गये हैं कि अस्थायी गो आश्रय स्थलों के निर्माण हेतु स्थल चयन कर निर्माण कार्य यथाशीघ्र प्रारम्भ करा दिया जाये। यह कार्य मनरेगा एवं अन्य योजनाओं के अभिसरण (convergence) से कराया जा सकता है। साथ ही साथ इस बात का विशेष ध्यान रखा जाय कि प्रश्नगत स्थल land एवं location के अनुसार समुपयुक्त हो। प्रत्येक चिन्हित स्थल के अन्तर्गत एक कैचमेन्ट ऐरिया का निर्धारण कराया जाय, जिनमें ग्राम पंचायतें स्पष्ट रहें। यह कैचमेन्ट एरिया स्थानीय निराश्रित गोवंश की संख्या के अनुरूप निर्धारित की जाय यथा 5 से 10 ग्राम पंचायतें, जिससे कि इस कैचमेन्ट एरिया में यदि निराश्रित गोवंश मिलता है तो उसे सम्बन्धित आश्रय स्थल पर संरक्षित किया जा सके।

5. गो आश्रय स्थलों के वित्तीय प्रबन्धन को सुगम बनाये जाने के दृष्टिगत शासनादेश संख्या–80सी0एम0/सैंतीस–2–2023–5(53)/2018टी0सी0–6, दिनांक 18.04.2023 द्वारा यह निर्देश दिये गये है कि गोवंश आश्रय स्थलों/सहभागिता योजना का वित्तीय प्रबन्धन डी0बी0टी0 (DBT) के माध्यम से किया जाय। शासनादेश संख्या–1538/सैंतीस–2–2023–5(53)/ 2018टी0सी0–6, दिनांक 11.07.2023 द्वारा डी0बी0टी0 (DBT) के माध्यम से धनराशि हस्तान्तरण किये जाने की प्रक्रिया में तेजी लाये जाने हेतु विस्तृत दिशा–निर्देश निर्गत किये गये हैं।

6. प्रदेश में सम्प्रति 6024 अस्थायी गो आश्रय स्थलों की स्थापना की गयी है, जिनमें कुल 930601 गोवंश संरक्षित किये गये हैं। 'मा0 मुख्यमंत्री निराश्रित/बेसहारा गोवंश सहभागिता योजना' के अन्तर्गत कुल 97927 इच्छुक व्यक्तियों/पशुपालकों को 183811 गोवंश सुपुर्दगी में दिये गये हैं। उक्त के अतिरिक्त प्रदेश में कुल 414 स्थायी गो संरक्षण केन्द्रों की स्वीकृति प्रदान की गयी है, जिनमें 282 क्रियाशील केन्द्रों में कुल 140870 गोवंश को संरक्षण कर उनका भरण–पोषण किया जा रहा है।

7. निराश्रित गोवंश संरक्षण एवं भरण–पोषण से सम्बन्धित योजनाओं/कार्यक्रमों की जनपदवार अद्यतन रिपोर्ट संलग्न है। उपर्युक्त शासनादेश एवं दिशा–निर्देशों के अनुपालन में निम्नानुसार कार्यवाही शीर्ष प्राथमिकता पर किये जाने की आवश्यकता है:–

(1) जिलाधिकारी स्तर से प्रत्येक गो आश्रय स्थल की वित्तीय व्यवस्था, उपलब्ध पशु आहार, अवसंरचना के रखरखाव व विस्तारीकरण आदि के माइक्रो मैनेजमेंट (Micro Management) का सघन पर्यवेक्षण किया जाये।

(2) कतिपय जनपदों में गो आश्रय स्थलों पर एस0एफ0सी0 (SFC) फण्ड पूलिंग की धनराशि कम है और कुछ जनपदों में उक्त धनराशि का उपभोग भी प्रारम्भ नहीं किया गया है। अतः संलग्न रिपोर्ट का अध्ययन कर गो आश्रय स्थलों में संरक्षित निराश्रित गोवंश के भरण–पोषण में आ रही वित्तीय समस्या एवं व्यय तथा उपलब्ध वित्त पोषण के मध्य आ रहे गैप की प्रतिपूर्ति हेतु एस0एफ0सी0 (SFC) फण्ड पूलिंग में तेजी लायी जाये एवं उक्त फण्ड का

1473

7. निराश्रित गोवंश संरक्षण एवं भरण-पोषण से सम्बन्धित योजनाओं / कार्यक्रमों की जनपदवार अद्यतन रिपोर्ट संलग्न है। उपर्युक्त शासनादेश एवं दिशा-निर्देशों के अनुपालन में निम्नानुसार कार्यवाही शीर्ष प्राथमिकता पर किये जाने की आवश्यकता है:

(1) जिलाधिकारी स्तर से प्रत्येक गो आश्रय स्थल की वित्तीय व्यवस्था उपलब्ध पशु आहार,अवसंरचना के रखरखाव व विस्तारीकरण आदि के माइक्रो मैनेजमेंट (Micro Management)का सघन पर्यवेक्षण किया जाये।

(2) कतिपय जनपदों में गो आश्रय स्थलों पर एस०एफ०सी० (SFC) फण्ड पूलिंग की धनराशि कम हैं और कुछ जनपदों में उक्त धनराशि का उपभोग भी प्रारम्भ नहीं किया गया है। अतः संलग्न रिपोर्ट का अध्ययन कर गो आश्रय स्थलों में संरक्षित निराश्रित गोवंश के भरण-पोषण में आ रही वित्तीय समस्या एवं व्यय तथा उपलब्ध वित्त पोषण के मध्य आ रहे गैप की प्रतिपूर्ति हेतु एस०एफ०सी० (SFC) फण्ड पूलिंग में तेजी लायी जाये एवं उक्त फण्ड का समुचित समयबद्ध उपयोग सुनिश्चित किया जाय। इस निमित्त खण्ड विकास अधिकारी को उत्तरदायी बनाया जाये।

(3) आवश्यकतानुसार कैटल कैचर / मल्टीपरपज वेहिकल एवं इसके परिवहन हेतु ट्रैक्टर की व्यवस्था सुनिश्चित की जाये, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों के निराश्रित गोवंश को आश्रय स्थलों पर बेहतर ढंग से पुनर्वासित किया जा सके। कुछ जनपदों में अभी तक ग्रामीण क्षेत्रों में कैटिल कैचर नहीं लिये गये हैं तथा अनेक स्थानों पर ट्राली हैं परन्तु ट्रैक्टर उपलब्ध नहीं है। इसे सुनिश्चित किया जाये ।

(4) निराश्रित गोवंश के संरक्षण हेतु यथावश्यकता अस्थायी गो आश्रय स्थलों का निर्माण शीघ्र प्रारम्भ करा दिया जाय और क्रियाशील आश्रय स्थलों में गहन समीक्षा कर आवश्यकतानुसार अतिरिक्त शेड आदि की युद्ध स्तर पर व्यवस्था सुनिश्चित की जाये ।

(5) स्वीकृत किये गये गो संरक्षण केन्द्रों का निर्माण कार्य शीर्ष प्राथमिकता पर पूर्ण कराकर निराश्रित गोवंश को संरक्षित किया जाये।

(6) मा० मुख्यमंत्री निराश्रित / बेसहारा गोवंश सहभागिता योजना के अन्तर्गत सुपुर्दगारों का सत्यापन विभिन्न विभागों के राजपत्रित अधिकारियों की टीम लगाकर की जाये। यह बेसलाइन सर्वे (Baseline Survey) अत्यावश्यक है।

(7) स्थानीय ग्रामीणों को ही समुचित मानदेय पर आश्रय स्थलों में कार्य पर रखा जाए तथा ब्लाक स्तरीय सफाई कर्मियों को इस निमित्त न लगाया जाए। (8) डी०बी०टी० (DBT) व्यवस्था के सुगम संचालन हेतु आधार सीडिंग, डाटालाकिंग एवं कर्मियों का प्रशिक्षण तेजी से कराया जाए।

8. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया उपर्युक्त आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराते हुए शत-प्रतिशत निराश्रित गोवश को गो संरक्षण केन्द्रों/ गो आश्रय स्थलों में संरक्षित किये जाने की कार्यवाही कराने का कष्ट करें।

संलग्नकः यथोक्त ।

भवदीय,

Signed by दुर्गा शंकर मिश्र
Date: 27-07-2023 14:04:42

(दुर्गा शंकर मिश्र)
मुख्य सचिव

Approved

समुचित समयबद्ध उपयोग सुनिश्चित किया जाय। इस निमित्त खण्ड विकास अधिकारी को उत्तरदायी बनाया जाये।

(3) आवश्यकतानुसार कैटल कैचर/मल्टीपरपज वेहिकल एवं इसके परिवहन हेतु ट्रैक्टर की व्यवस्था सुनिश्चित की जाये, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों के निराश्रित गोवंश को आश्रय स्थलों पर बेहतर ढंग से पुनर्वासित किया जा सके। कुछ जनपदों में अभी तक ग्रामीण क्षेत्रों में कैटिल कैचर नहीं लिये गये हैं तथा अनेक स्थानों पर ट्राली है परन्तु ट्रैक्टर उपलब्ध नहीं है। इसे सुनिश्चित किया जाये।

(4) निराश्रित गोवंश के संरक्षण हेतु यथावश्यकता अस्थायी गो आश्रय स्थलों का निर्माण शीघ्र प्रारम्भ करा दिया जाय और क्रियाशील आश्रय स्थलों में गहन समीक्षा कर आवश्यकतानुसार अतिरिक्त शेड आदि की युद्ध स्तर पर व्यवस्था सुनिश्चित की जाये।

(5) स्वीकृत किये गये गो संरक्षण केन्द्रों का निर्माण कार्य शीर्ष प्राथमिकता पर पूर्ण कराकर निराश्रित गोवंश को संरक्षित किया जाये।

(6) 'मा0 मुख्यमंत्री निराश्रित/बेसहारा गोवंश सहभागिता योजना' के अन्तर्गत सुपुर्दगारों का सत्यापन विभिन्न विभागों के राजपत्रित अधिकारियों की टीम लगाकर की जाये। यह बेसलाइन सर्वे (Baseline Survey) अत्यावश्यक है।

(7) स्थानीय ग्रामीणों को ही समुचित मानदेय पर आश्रय स्थलों में कार्य पर रखा जाए तथा ब्लाक स्तरीय सफाई कर्मियों को इस निमित्त न लगाया जाए।

(8) डी0बी0टी0 (DBT) व्यवस्था के सुगम संचालन हेतु आधार सीडिंग, डाटालाकिंग एवं कर्मियों का प्रशिक्षण तेजी से कराया जाए।

8. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया उपर्युक्त आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराते हुए शत–प्रतिशत निराश्रित गोवंश को गो संरक्षण केन्द्रों/गो आश्रय स्थलों में संरक्षित किये जाने की कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

संलग्नक:यथोक्त।

भवदीय,

(दुर्गा शंकर मिश्र)
मुख्य सचिव।

संख्या–1706(1)/सैंतीस–2–2023–तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1– प्रमुख सचिव स्टाफ आफिसर मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
2– विशेष कार्याधिकारी, कृषि उत्पादन आयुक्त, उ0प्र0 शासन।
3– अपर मुख्य सचिव, पंचायतीराज विभाग, उ0प्र0 शासन।
4– अपर मुख्य सचिव, ग्राम्य विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
5– गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(डा0 रजनीश दुबे)
अपर मुख्य सचिव।

संख्या - 1706 (1) / सैंतीस -2-2023- तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. प्रमुख सचिव स्टाफ आफिसर मुख्य सचिव उ०प्र० शासन ।
2. विशेष कार्याधिकारी, कृषि उत्पादन आयुक्त, उ०प्र० शासन ।
3. अपर मुख्य सचिव, पंचायतीराज विभाग, उ०प्र० शासन ।
4. अपर मुख्य सचिव, ग्राम्य विकास विभाग, उ०प्र० शासन।
5. गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,

(डा० रजनीश दुबे)
अपर मुख्य सचिव।

1476

निराश्रित गोवंश संरक्षण की जनपदवार अद्यतन प्रगति

क्र0 सं0	जनपद	कुल संरक्षित (अ0गो0आ0स्थ0, कान्हा, कॉजी हाऊस, वृहद)				सहभागिता				कुल संरक्षित (अ0गो0आ0 स्थ0, कान्हा, कॉजी हाऊस, वृहद, मृत गोवंश एवं सहभागिता)		एस0 एफ0 सी0 पूलिंग (धनराशि रू0 में)	कैटल कैचर	अभ्युक्ति		
		लक्ष्य	सप्ताह में संरक्षित	*क्रमिक संरक्षित*	अवशेष निराश्रित गोवंश	साप्ताहिक		क्रमिक		कुल क्रमिक योग (पोषण मिशन + सामान्य)		साप्ताहिक	क्रमिक	शहरी	ग्रामीण	योग
						पोषण मिशन	सामान्य	पोषण मिशन	सामान्य							
1	2	3	4	*5*	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Agra	16916	0	*17127*	0	0	0	4	1844	1848	17127	0.00	1606394.00	7	16	23
2	Aligarh	28559	77	*31201*	0	0	0	30	3854	3884	32057	0.00	1969000.00	4	6	10
3	Ambedkar Nagar	7019	0	*5132*	0	0	0	63	1878	1941	8531	50401.00	2390652.00	4	4	8
4	amethi	12475	53	*11882*	0	0	8	309	2309	2618	14500	632352.00	19245122.00	1	3	4
5	Amroha	2291	20	*3021*	0	0	2	4	699	703	3021	0	2103900.00	4	0	4
6	Auraiya	12724	0	*10836*	0	0	0	6	1817	1823	12983	35000.00	2275500.00	2	1	3
7	Ayodhya	11503	30	*11793*	0	0	0	20	2305	2325	11793	36733.00	2164872.00	6	1	7
8	Azamgarh	8423	0	*2825*	0	0	0	2	2823	2825	5491	126281.00	14096520.00	2	2	4
9	badayun	29760	0	*29836*	0	0	0	6	6376	6382	29836	23058.00	349388.00	3	9	12
10	Baghpat	4847	11	*5244*	0	0	3	11	1014	1025	5244	0.00	1408501.00	2	6	8
11	Bahraich	18988	139	*14413*	0	0	7	610	2315	2925	18450	47850.00	16383318.00	3	4	6
12	Baliya	3910	0	*2649*	0	0	0	1	426	427	3624	0.00	2513445.00	10	6	16
13	Balrampur	9248	0	*8480*	0	0	0	1	772	773	9253	0.00	1632000.00	1	1	2
14	Banda	47658	0	*61596*	0	0	0	58	6682	6740	68336	0.00	2571000.00	3	1	4
15	Barabanki	10097	1414	*21698*	0	0	7	60	3507	3567	25465	0.00	12009237.00	2	15	17

16	Bareilly	6972	0	3146	0	0	0	25	1920	1945	7414	0.00	2045466.00	2	15	17
17	Basti	12500	5	8524	0	0	0	0	1588	1588	12558	0.00	2100000.00	3	14	17
18	Bhadohi	6300	0	5178	0	0	0	0	1165	1165	6343	0.00	2650639.00	2	1	3
19	Bijnor	5120	51	6461	0	0	1	2	1023	1025	7496	50454.00	5140531.00	3	0	3
20	Bulandshahr	17860	2	18234	0	0	0	0	5022	5022	18234	1002002.00	6308997.00	4	0	4
21	Chandauli	3667	0	3680	0	0	0	0	1111	1111	3680	40000.00	1167800.00	2	0	2
22	Chitrakoot	68813	0	55355	0	0	0	0	711	711	55355	0.00	222500.00	3	2	5
23	Deoria	2194	0	1776	0	0	0	10	307	317	2489	0.00	1797085.00	10	4	14
24	Etah	4324	4	5165	0	0	0	11	1712	1723	5165	1368053.00	2181413.00	3	9	11
25	Etawah	11066	290	8991	73	0	0	0	1643	1643	10993	0.00	10382315.00	4	8	12
26	Farrukhabad	9703	0	10063	0	0	0	40	3121	3161	13784	0.00	9823759.00	3	4	7
27	Fatehpur	19931	0	20010	0	0	0	84	1556	1640	20010	0.00	8648046.00	2	4	6
28	Firozabad	8836	10	7330	0	0	7	5	724	729	8488	0.00	3426191.00	5	7	12
29	gautam b nagar	6942	35	7556	0	0	0	0	0	0	7847	0.00	755000.00	5	0	5
30	Ghaziabad	5268	6	5787	0	0	0	6	859	865	5787	0.00	321000.00	3	0	3
31	Ghazipur	8000	1	8099	0	0	0	53	1380	1451	8098	52000.00	4052991.00	2	8	10
32	gonda	26300	0	23397	0	0	0	49	2015	2064	26348	0.00	1335200.00	7	5	12
33	Gorakhpur	10186	0	9399	0	0	0	7	320	327	10196	0.00	327000.00	4	2	6
34	Hamirpur	42830	0	35287	0	0	0	814	6583	7397	42684	0.00	29000.00	2	1	3
35	Hardoi	29377	7	43464	0	0	0	30	6399	6429	49893	0.00	5499230.00	6	20	26
36	Hathras	15178	0	13804	0	0	0	56	1338	1394	15198	144945.00	5448814.00	4	0	4
37	Hapur	4091	0	4091	0	0	0	2	748	750	4091	10000.00	162069.00	3	0	3
38	Jalaun	38650	0	39671	0	0	0	15	3304	3319	43253	0.00	721434.00	5	2	7

1477

39	Jaunpur	18024	42	18008	16	0	30	46	2359	2405	22664	0.00	5423702.00	4	21	25
40	Jhansi	41617	0	41617	0	0	0	125	4613	4738	41937	0.00	1539776.00	3	9	12
	kannauj	8623	45	8557	0	0	1	38	1950	1988	8557	0.00	642378.00	4	3	7
42	Kanpurdehat	8095	0	8308	0	0	0	5	477	482	11018	0.00	2612231.00	4	4	8
43	Kanpurnagar	26775	0	26775	0	0	0	101	2885	2986	26775	0.00	17209916.00	5	2	7
44	Kasganj	4686	0	3930	0	0	0	6	1547	1553	5483	60000.00	764000.00	2	1	3
45	Kaushambi	13817	0	12689	0	0	0	8	1120	1128	13817	0.00	2180000.00	2	4	6
46	Kheri	22131	1	18276	0	0	0	52	6766	6818	27453	0.00	4358466.00	4	10	14
47	Kushinagar	1588	0	982	0	0	0	1	492	493	1856	0.00	144000.00	3	1	4
48	lalitpur	43498	10	43513	0	0	0	156	9040	9196	43513	100000.00	3600000.00	3	6	9
49	Lucknow	25249	0	1160	0	0	0	88	5970	6058	38354	0.00	19553736.00	7	5	12
50	Maharajganj	4899	0	5147	0	0	5	4	528	532	5147	0.00	300000.00	2	1	3
51	Mahoba	61765	0	36914	0	0	40	132	5597	5729	42643	0.00	368613.00	1	3	4
52	Mainpuri	7716	11	4634	0	0	0	141	1186	1327	10336	0.00	1644568.00	4	0	4
53	Mathura	18556	123	22688	0	0	0	27	1730	1757	22688	0	1234422	2	8	10
54	Mau	4368	0	5200	0	0	0	1	436	437	5200	0.00	5394381.00	2	1	3
55	Meerut	7019	15	7187	0	0	92	2	1502	1516	8703	42000.00	4438570.00	8	0	8
56	Mirzapur	6379	7	5041	0	0	0	22	1016	1038	6816	0.00	988711.00	2	2	4
57	Moradabad	3599	20	3599	0	0	0	3	498	501	3599	20000.00	2650000.00	2	4	6
58	muzaffernagar	5736	0	3825	0	0	0	6	2042	2048	6461	220136.00	12477146.00	2	3	5
59	Pilibhit	10043	0	3235	0	0	0	16	3606	3622	10043	0.00	1864000.00	8	6	14
60	Pratapgarh	14128	0	14128	0	0	0	17	2042	2059	17067	0.00	35300.00	3	1	4
61	Prayagraj	28816	0	28950	0	0	6	0	3484	3484	28950	2192287.00	16571427.00	10	1	11

1478

62	Rae Bareli	20513	0	*20746*	0	0	0	34	2085	2119	20746	0	3020429	1	14	15
63	Rampur	1529	0	*1369*	0	0	0	0	86	86	1529	0	5194955	4	0	4
64	Saharanpur	3734	0	*3959*	0	0	11	0	1074	1074	3959	26418.00	11358852.00	4	3	7
65	Sambhal	8043	0	*10685*	0	0	0	21	1943	1964	12649	0.00	2445910.00	3	6	9
66	Sant Kabir Nagar	3090	0	*3264*	0	0	19	0	724	724	3264	19793.00	809259.00	1	0	1
67	Shahjahanpur	9862	54	*13382*	0	0	45	0	6140	6185	13382	34309.00	7979626.00	7	8	15
68	Shamli	4228	45	*5000*	0	0	0	0	1553	1553	5000	68999.00	6972105.00	2	1	3
69	Shravasti	10608	17	*9768*	0	0	0	0	1053	1053	1053	11777.00	839000.00	1	3	4
70	Siddharthnagar	8393	0	*8275*	0	0	0	13	2398	2411	10686	73000.00	734290.00	2	2	4
71	Sitapur	21031	499	*11074*	0	0	5	20	3677	3697	33486	0.00	2958306.00	7	0	7
72	Sonbhadra	2914	0	*1707*	0	0	0	0	642	642	2955	0.00	463317.00	3	0	3
73	Sultanpur	4026	30	*8024*	0	0	0	6	1893	1899	9923	0.00	6387000.00	1	5	6
74	Unnao	29450	0	*29507*	0	0	0	66	4302	4368	33875	0.00	5250000.00	9	0	9
75	Varanasi	12449	0	*12722*	0	0	0	56	2506	2562	12722	0.00	3103264.00	9	1	10
total				*1046046*	**89**		**289**	**3607**	**174132**	**177739**	**1225424**	**6487848.00**	**320776985.00**	3	**320**	**600**

1479